भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

शशिधर उज्ज्वल

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

प्रस्तुतिः
टीचर्स ऑफ बिहार
ई–मेलः teachersofbihar@gmail.com

संकलनः

शशिधर उज्ज्वल
एम.ए. (भूगोल); बी.एड.; डी.एल.एड.
रा0 मध्य विद्यालय, सहसपुर
प्रखण्ड–बारूण, जिला–औरंगाबाद
(बिहार) 824112
7004859938

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रस्तावना

राष्ट्रीय प्रतीक एक पहचान प्रदान करते हैं और प्रतीकों का चयन राष्ट्र विशेष के मूल्य को प्रतिबिंबित करता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ना सिर्फ भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के नागरिकों में राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्र गर्व की भावना भी पैदा करते हैं। यह प्रतीक भारतीय संस्कृति और परंपरा का मूलभूत हिस्सा है। राष्ट्रीय चिन्ह एक प्रतिक्रिया मुहर है जिसे किसी राष्ट्र या राज्य द्वारा अपने पहचान या प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों दस्तावेजों अभिलेखों परिपत्रों मुद्रा आदि पर किया जाता है। यह चिन्ह संबंधित देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास एवं वर्तमान मूल्य और आदर्शों से संबंधित होता है।

स्वतंत्र भारत के राष्ट्र प्रतीकों के बारे में इस अंक में वर्णन करने का और संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हमें भारत के स्वतंत्रता की स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनाते हैं, वहीं दूसरी ओर बाघ, मोर और कमल जैसे राष्ट्रीय प्रतीक प्राकृतिक –वानस्पतिक तथा प्राणी जगत के सौन्दर्यता और रचनात्मकता का बखान करते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला में प्राकृतिक सौंदर्य जैसे मोर, कमल, वृक्ष का प्रयोग और अंकन चला आ रहा है। यह अंक उन युवा पीढ़ी को समर्पित है जो भविष्य की आत्मा हैं और जो हमारे धरोहर सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस अंक द्वारा भारत के राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान की भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा किया जाता है की युवा पीढ़ी को भारत के एक अग्रणी नेता के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा इस अंक के माध्यम से मानव तथा प्रकृ ति के लिए प्रेम, आदर, सांस्कृतिक विविधता का सत्य, सौंदर्य, सद्भावना के बीच व्यापक मूल्यों के शिक्षा प्राप्त होगी।

आशा है कि इस संकलन से सभी वर्गो के पाठक, शिक्षक, युवा खासकर बच्चे लाभान्वित होंगे। अपने पाठ्यपुस्तक से जोड़कर और योग्यता विस्तार में उनकी बहुत मददगार साबित होगी।

विषय सूची

क्रम	विषय वस्तु	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय पक्षीः मोर	7
2.	राष्ट्रीय चिह्नः अशोक स्तम्भ	11
3.	राष्ट्रभाषाः हिन्दी	14
4.	राष्ट्रीय खेलः हॉकी	15
5.	राष्ट्रीय धरोहर पशुः हाथी	17
6.	राष्ट्रीय जलीय जीवः गंगेटिक डॉल्फिन	19
7.	राष्ट्रीय वाक्यः सत्यमेव जयते	20
8.	राष्ट्रीय पुष्प : कमल	21
9.	राष्ट्रीय पंचांगः शक संवत्	23
10.	राष्ट्रीय वृक्षः बरगद	25
11.	राष्ट्रीय पशुः बाघ	26
12.	राष्ट्रीय लिपिः देवनागरी	28
13.	राष्ट्रीय मुद्राः रुपया	29
14.	राष्ट्रीय नदीः गंगा	31
15.	राष्ट्रीय पुरस्कारः भारत रत्न	34
16.	राष्ट्रीय गीतः वन्दे मातरम	35
17.	राष्ट्रगानः जन–गण–मन	40
18.	राष्ट्रीय ध्वजः तिरंगा	47
19.	राष्ट्रीय विदेशनीतिः गुटनिरपेक्ष	72
20.	राष्ट्रीय फलः आम	73
21.	राष्ट्रीय योजनाः पंचवर्षीय योजना	75
22.	राष्ट्रीय पत्रः श्वेत पत्र	75
23.	राष्ट्रीय धर्मः धर्मनिरपेक्ष	76
24.	राष्ट्रीय नाराः श्रमेव जयते	77
25.	राष्ट्रीय संकल्प	77
26.	राष्ट्रीय मिठाईः जलेबी	78
27.	राष्ट्रीय पर्वः गणतंत्र दिवस	78
28.	राष्ट्रीय पर्वः स्वतंत्रता दिवस	79
29.	राष्ट्रपिताः महात्मा गाँधी	79
30.	राष्ट्रीय झंडा गीतः हिन्द देश का प्यारा झंडा	81
31.	हिन्द देश के निवासी	82
32.	विजयी विश्व तिरंगा प्यारा	82
33.	वैष्णव जन तो तेने कहिए	83
34.	सारे जहां से अच्छा	84

वन्दे मातरम्

INDIA

राष्ट्रीय पक्षी: मोर

भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में 2000 से अधिक पक्षियों के प्रजातियों में सर्वाधिक भव्य मनमोहक और आकर्षक पक्षी मोर है। वर्षा के दिनों में मोर का नृत्य आनंद और उत्सव की भावना को उत्पन्न करता है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा मराठी में मोर; कन्नड़ में नविलु; तमिल और मलयालम में मायिल; संस्कृत में मयूर, नीलकंठ, भुजंगभुक, केकिन, मेघानंद, शिखण्डिन; और फारसी में तौस कहते हैं। मोर के सिर पर कलगी यानी पतले तार समान पंखों के मुकुट होने के कारण इसे 'शिखी' अथवा 'शिखावल' भी कहते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम *पावो क्रिस्टेटस* है।

कहा जाता है कि मोर बादलों के गड़गड़ाहट से इतना अधिक सम्मोहित हो जाता है की पखावज अथवा मृदंगम जैसे ताल वाद्यों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को, वर्षा के आने से पूर्व बादलों की गर्जन मानकर मानसून ऋतु का अग्रदूत बनकर नृत्य करना आरंभ कर देता है। मोर के नृत्य को 'दरबारी नृत्य' की संगति संज्ञा दी गई है।

'मोर' शब्द नर के लिए और मादा के लिए 'मोरनी' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों की जोड़ी को मोर–मोरनी कहा जाता है। मोर का शरीर बड़ा और इसकी गर्दन लंबी, छरहरी और पूँछ में लगभग 150–200 पंख होते हैं, जो करीब 1 मीटर लंबे होते हैं। इन पर हरे–भरे और नील लोहित (बैगनी) रंग के आँख जैसे बिंदु होते हैं। इस प्रजाति के नर की ही इस प्रकार की कुछ विशेष पूँछ होती है। मोरनी

पूँछ रहित भूरे रंग की पक्षी होती है और एक बार में 4 से 6 बड़े अंडे देती है। मोर एक सर्वभक्षी पक्षी है, पर अधिकांशतः भोजन बीज और पेड़ से ही प्राप्त करते हैं। मोर सांपों को मारने के लिए भी जाना जाता है। मोर का प्रजनन काल वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर आरंभ होता है। कड़ी थका देने वाली गर्मी के पश्चात वर्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत और आनंद के साथ मोर का नृत्य जुड़ा हुआ है। मोर की चाल काफी गौरवपूर्ण और शानदार होती है। मोर के पंख छोटे और गोलाई लिए होते हैं, जिनका वे तेजी से उड़ान भरने के लिए प्रयोग करते हैं, पर लंबी और निरंतर उड़ान भरने के लिए ये पंख अनुपयुक्त होती है। मोर एक या दो छोटी उड़ानों से अधिक उड़ान नहीं भर सकता। यह पक्षी जल्द ही पालतू बन जाता है बड़े–बड़े खेतों बागों और जंगल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोर बुद्धिमान पक्षी है, वह दोस्त और दुश्मन में अंतर मालूम कर लेता है। मोर की दृष्टि तीक्ष्ण होती है। वह शिकार की खोज करते हुए परभक्षी का पता लगाकर केका–केका की चीख से खतरे का संकेत देता है। मोर के सिर पर एक बहुरंगी कलगी होती है, और उसकी गर्दन सुंदर नीले रंग की होती है। गर्दन के नीचे उसकी पीले–पीले चोटिया हरे नीले और बैगनी रंग की होती है। उसकी पीठ पर फूल बहुत ही छोटे होते हैं। मोर जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उनकी आवाज उतनी सुंदर नहीं होती और बड़ी कर्णकटु लगती है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती है–नीला या भारतीय मोर, जो भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। दूसरा हरा या जावा मोर जो म्यांमार से जावा तक पाया जाता है।

भारत में सिंधु नदी के दक्षिण क्षेत्र और पूर्व में जम्मू और कश्मीर, पूर्वी असम, मिजोरम के दक्षिण क्षेत्र और संपूर्ण प्रायद्वीपीय हिस्सों में और व्यापक रूप से पाया जाता है।

मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह मोर ही था। संभवत मोर शब्द से ही मौर्य वंश का नाम पड़ा। मुगल बादशाहों को भी मोर से विशेष प्रेम था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारतीय पक्षियों का वर्णन मोर से ही आरंभ किया है। कई मुगल बादशाह मोर को पालतू बनाकर अपने दरबार के बागों में रखा करते थे। बादशाह शाहजहां तो मोर से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने अपने एक सुंदर सिंहासन को तख्त–ए–ताऊस (मयूर सिंहासन) का नाम दिया था। इस सिंहासन पर मोरों का जोड़ा है, जिनकी उठी हुई पूँछ नीले नीलम तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों से बनी है।

यह गौरव का प्रतीक था और इसे दिल्ली के दरबार में रखा गया था। भारत का सम्राट नादिर शाह, जिसने सन् 1739 में मुगलों की राजधानी को लूट लिया था तथा इस बहुमूल्य लूट को अपने देश में ले गया था। मुगल सम्राट जहांगीर की 'मोर–मोरनी' एक उत्कृष्ट कलाकृति है। मौर्यकालीन कई रजत और स्वर्ण सिक्कों पर मोर की आकृति अंकित मिलती है। सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। भारतीय चित्रकला और शिल्पकला में भी मोर को प्रमुख महत्व दिया जाता है।

मोर का पंख भगवान कृष्ण के मुकुट पर भी सुशोभित होता है। मोर के पंख महलों, घरों एवं मंदिरों में रखे जाते हैं। मस्जिदों और मजारों में भी मौलवी आशीर्वाद देने हेतु भक्तों के सिर पर मोर के पंखों से स्पर्श करते हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय अथवा स्कंध अपने वाहन (कार्तिकेय षणमुख) मोर पर सवार हैं। मोर को एक हिमायती विजेता योद्धा के रूप में जाना जाता है और उसे देवताओं की सेना का प्रधान माना जाता है। कुछ हिंदू देवी देवताओं के चित्रों में जैसे सरस्वती माता के पास मोर को भी खड़ा दिखाया जाता है। प्राचीन काल में मोर के पंखों का उपयोग लेखनी के रूप में भी किया जाता था।

भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। भारतीय वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। वर्ष 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसका शिकार करना कानूनन अपराध घोषित किया गया था।

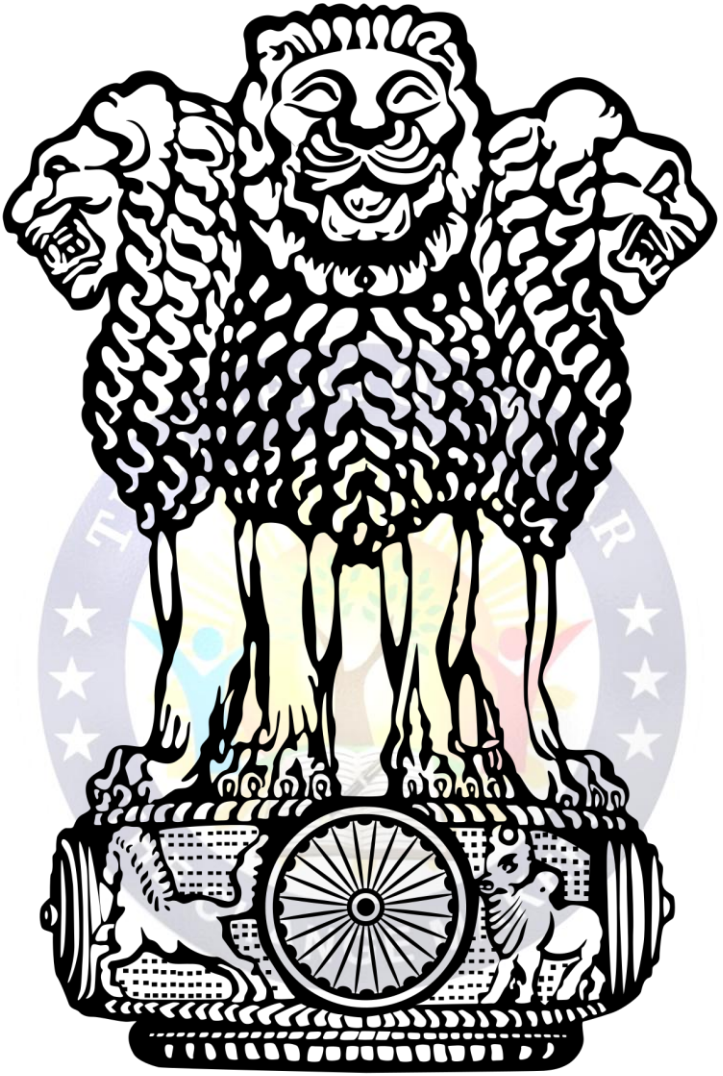

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय चिन्हः अशोक स्तंभ

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ है। इस स्तंभ के मूल प्रतिकृति सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं इसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं चौथा दिखाई नहीं देता। एक दूसरे से पीठ के बल जुड़े चार सिंह शक्ति, साहस, गर्व और विश्वास के प्रतीक हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी चौकड़ी भरता हुआ, एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच–बीच में चक्र बने हुए हैं। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है–'सत्य की विजय होती है'। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक खुले हुए उल्टे कमल पर खड़ा है। एक ही बालूपत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी, 1950 को अपनाया। पट्टी के मध्य में भी उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाहिने और 1 सांड और बाएं और एक घोड़ा दिखता है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का घोतक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए सिंह साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए सांड़ भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का घोतक है।

सारनाथ स्थित पुरातत्व संग्रहालय में अशोक स्तंभ का वर्णन निम्नलिखित रुप से प्रस्तुत किया गया हैः अशोक स्तंभ का शीर्ष ऊंचाई 7 फीट चौड़ाई सिर्फ फलक के ऊपर 2 फीट 10 इंच है। यह बालूपत्थर के एक ही खंड से उत्तीर्ण किया गया था।

अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। वे मनुष्य के अविद्या से दुःख के 12 तीलियां और दुःख से निर्वाण के 12 तीलियां (बुद्धत्व अर्थात् अरहंत) की अवस्थाओं के प्रतीक हैं।

अशोक चिन्ह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में सम्राट अशोक की बसाई नगरी सारनाथ में मिला था। उसका निर्माण ईसा पूर्व 250 में हुआ था। अशोक चिह्न और उसके नीचे उत्कीर्ण 'सत्यमेव जयते' को राष्ट्रीय मुहर के रूप में स्थापित करने में बिहार की

सेना का ही हाथ है। सेना के पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बिहार रेजिमेंट के तीन बटालियनों की एक यूनिट के कैप्टन हबीबउल्लाह खान खटक ने कोलकाता स्थित विक्टोरिया म्यूजियम में सम्राट अशोक निर्मित चार सिर वाली एक मूर्ति देखी थी। सम्राट अशोक का संबंध बिहार से था। खटक को लगा कि यह मूर्ति बिहार रेजिमेंट का सही निशान बन सकती है। उन्होंने मूर्ति के चित्र वाले कुछ पोस्ट कार्ड खरीदे और उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना प्रस्ताव रखने का फैसला किया। उसी दौरान उस यूनिट का अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर छुट्टी पर चला गया। कैप्टन खटक उनके स्थान पर सीओ का काम देख रहे थे। उन्होंने सेना मुख्यालय को एक पत्र लिखकर सारी बातें बताई और सुझाव दिया कि नवगठित बिहार रेजीमेंट के लिए प्रतीक चिह्न अपनाया जाए कुछ समय बाद उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बर्मा युद्ध से लौटी बिहार बटालियन को जब आराम के लिए शिलांग भेजा गया, तो बिहार के राज्यपाल सर टॉमस रदरफोर्ड एक बार शिलांग में बिहार रेजीमेंट के जवानों से मिलने गए। उन्होंने जवानों के कैप पर यह लाजवाब निशान लगा देखा। निशान उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने तब तक कर्नल बन चुके हबीबउल्लाह से अनुरोध किया कि वह इस निशान को बिहार का राजकीय चिह्न बनाना चाहते हैं। हबीबउल्लाह ने खुशी–खुशी मंजूरी दे दी। उस समय बिहार का राजकीय चिह्न एक पात्र पर मछली हुआ करती थी। मई, 1945 में एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए शेरों की मूर्ति को बिहार का राजचिह्न बना दिया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय चिह्न बनाने का फैसला किया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिह्न के रूप में 'अशोक स्तंभ' घोषित कर दिया गया।

सन् 1950 के बाद अशोका स्तंभ के सिंह सिर्फ का प्रयोग सिक्कों, नोटों, मुद्रा तथा सेवा मोहरों आदि पर किया जाने लगा।

भारत के राजचिन्ह का प्रयोग

भारत के राजचिन्ह का प्रयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, न्यायपालिका आदि से संबंधित समस्त सूचनाओं, कार्यादेशों आदि पर किया जाता है। यह प्रतीक भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का एक हिस्सा है और सभी भारतीय मुद्रा पर भी प्रकट होता है। यह कई स्थान पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

के रूप में कार्य करता है और भारतीय पासपोर्ट पर प्रमुख रूप से प्रकट होता है। प्रतीक का प्रयोग भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विनियमित और प्रतिबंधित है।

सरकार की ओर निम्न सामग्री पर राष्ट्रीय चिह्न के उपयोग की अनुमति है:

i. सरकारी प्रकाशन
ii. भारत सरकार के फिल्मी प्रभाग के द्वारा निर्मित फिल्म आदि
iii. विदेशों में भारतीय शिष्टमंडलों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कटलरी तथा क्रॉकरी तथा
iv. विदेशों में स्थित भारतीय शिष्टमंडल के वर्ग–4 के स्टाफ की वर्दी के मद।

किसी व्यक्ति या निजी संगठन को प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। व्यापार, वाणिज्य तथा व्यवसाय हेतु राष्ट्रीय चिह्न के उपयोग पर रोक है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करने वाले व्यक्ति अभियोग के जिम्मेदार हैं।

शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग–अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्य द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

राष्ट्रभाषा: हिन्दी

राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है– समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात् आमजन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन–जन के विचार–विनिमय का माध्यम हो राष्ट्रभाषा कहलाती है।

वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से महात्मा गांधी जी ने भाषण देते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया और कहा था कि ''मेरा यह मत है कि हिंदी, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए।''

भारत का संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना गया है। 14 सितंबर, 1949 ई. को हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। इसी कारण 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार, किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग–अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग–अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। फिलहाल 22 अधिकारिक भाषाओं में हिन्दी, असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, बंगाली और गुजराती है। वर्तमान में सभी 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। संविधान निर्माण के समय 14 भाषाओं को शामिल किया गया था लेकिन बाद में वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय खेल: हॉकी

भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग 1928–56 ई. तक था, जब भारतीय हॉकी दल ने लगातार छह ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए। भारतीय हॉकी दल ने 1975 में विश्व कप जीतने के अलावा दो अन्य पदक रजत और कांस्य जीते। हमारे देश में हॉकी अंग्रेज सैनिकों द्वारा आया। हॉकी के शौकीन अंग्रेज ने देश के अनेक भागों को हॉकी से परिचित कराया। इसी क्रम में 7 नवंबर, 1925 को ग्वालियर में इंडिया हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई। इस फेडरेशन ने कोलकाता में इंटर प्रोविंशियल हॉकी टूर्नामेंट आयोजित कर एम्स्टर्डम, 1928 में होने वाले ओलंपिक के लिए प्रथम बार भारत को प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत ने हॉलैंड को हराकर 30 से विजय प्राप्त किया था। भारतीय हॉकी ने 1947 में ऑल इंडिया वूमेन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1956 तक लगातार स्वर्ण पदक जीते तदुपरांत 1964 ई. और 1980 ई. में दो स्वर्ण पदक जीते।

हॉकी के खेल में 11–11 खिलाड़ियों की दो टीमें खेल में भाग लेती है। हॉकी में प्रयुक्त सफेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है तथा हॉकी स्टिक यानी छड़ी की लंबाई 91 सेंटीमीटर होती है।

मेजर ध्यानचंद जो भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे उन्हें 'हॉकी का जादूगर' भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई, 2009 को नया लोगो अनावृत किया है, जो राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है। इसमें 24 हॉकी के स्टीक, एक पहिए के रूप में सजी हुई हैं। भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान स्ट्रोटर्फ मैदान (रबड़ का मैदान) शिलारू, हिमाचल प्रदेश में है। भारत में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया लीग 2013 खिताब रांची राइनोज ने जीता। 10 फरवरी, 2013 को रांची में खेले गए फाइनल में रांची राइनोज ने दिल्ली वेवराइडर्स को 21 गोल से हराकर खिताब जीता।

हॉकीः एक नजर

मैदान की लंबाई– 91.44 मीटर
मैदान की चौड़ाई– 50 से 55 मीटर
गेंद का वनज– 155 से 163 ग्राम
गेंद की परिधि– 223 से 224 सेंटीमीटर

हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि भारत सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप के हॉकी युग की शुरुआत 1925 में हुई थी, जब अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1928 में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिला।

राष्ट्रीय धरोहर पशुः हाथी

31 अगस्त, 2010 को हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित करने की सिफारिश की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए उन्हें राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित कर दिया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति की 13 अक्टूबर, 2010 को हुई बैठक में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2010 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। तत्कालीन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश ने 'गजराज' यानी हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया। इसके संरक्षण हेतु बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तर्ज पर राष्ट्रीय गजराज संरक्षण प्राधिकरण (नेशनल एलीफैंट कंजर्वेशन अथॉरिटी) बनाया जाएगा।

हिंदू धर्म में हाथी को एक पवित्र प्राणी माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। गणेश जी का मुख हाथी का होने के कारण, उन्हें 'गजतुण्ड', 'गजानन' आदि नाम दिया गया है। गजेंद्र मोक्ष कथा में, गजेंद्र ने मगर के ग्राह से छूटने के

लिए, श्री हरि की स्तुति की थी। श्री हरि ने गजेंद्र को मगर के ग्राह से छुड़ाया था। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का स्थान गीता में है। गीता में श्रीकृष्ण ने हाथियों में एरावत को अपनी विभूति बताया है। हाथी शुभ शकुन वाला और लक्ष्मी दाता माना जाता है। वैदिक देवता इंद्र, ऐरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का वाहन भी हाथी ही है।

हाथी के पर्यायवाची– गज, हस्ती, मतंग, कुंभी, मदकल, द्विप, कुंजर, गजेंद्र, वारण, करीश आदि हैं।

हाथी आधुनिक मानव के समय का पृथ्वी पर विचरण करने वाला सबसे विशालकाय प्राणी है। इसकी दो प्रजातियों एशियाई हाथी *एलीफस मैक्सिमस* और अफ्रीकी हाथी *लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना* में से एक दोनों ही 'एलीफेंटीडी' परिवार गण कुल के हैं। जिनका विशिष्ट लक्षण उनका बड़ा आकार, लंबी विस्तारित नाक (सुंड), स्तंभाकार पैर, विशाल कान और बड़ा सिर है। *एलीफस मैक्सिमस* भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। एशिया का 60 प्रतिशत हाथी भारत में पाया जाता है।

वर्ष 1992 में भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर मिलते हैं।

राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला जयपुर के पास कुंडा गांव को 20 जून, 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया है, जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है।

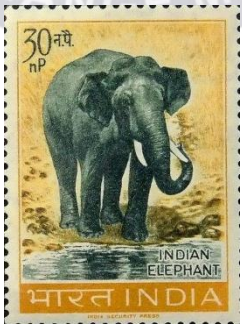

राष्ट्रीय जलीय जीव: गंगेटिक डॉल्फिन

मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन मछली नहीं, बल्कि एक स्तनधारी जीव है। यह मांसाहारी प्राचीन जलीय जीव करीब 10 करोड़ साल से भारत में मौजूद है।

इसका वैज्ञानिक नाम *प्लेटैनिस्टा गैंजेटिका गैंजेटिका* है। इसकी औसत आयु 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई है।यह मछली लंबे नोकदार मुँह वाली होती है। इसके ऊपरी तथा निचले जबड़े में दाँत भी दिखाई देते हैं। इसकी आँखें छोटी–छोटी होती है। इनकी आँखें लेंस रहित होती है और इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने के साधन के रूप में कार्य करती हैं। डॉल्फिन मछलियां सबस्ट्रेट की दिशा में एक पख के साथ करती हैं और श्रिंप तथा छोटी मछलियों को निकलने के लिए गहराई में जाती हैं। डॉल्फिन मछलियों का शरीर मोटी त्वचा और हल्के भूरे स्लेटी त्वचा शल्कों से ढँका होता है और कभी–कबार इसमें गुलाबी रंग की आभा दिखाई देती है। इसके पख बड़े और पृष्ठ दिशा का पख तिकोना और कम विकसित होता है। स्तनधारी का सिर सीधा खड़ा होता है। मादा मछली नर मछली से बड़ी होती है। इन्हें स्थानीय तौर पर 'सूँस' कहा जाता है क्योंकि हर सांस लेते समय ऐसी ही आवाज निकालती है।

इस प्रजाति की डॉल्फिन को भारत और बांग्लादेश की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में देखा जा सकता है। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसे वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में शामिल किया गया है। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण है अवैध शिकार और नदी के घटते जलस्तर। बैराज के निर्माण के कारण भी इनके अधिवास में गिरावट आयी है और इस प्रजाति के लिए बाधा उत्पन्न हो चुकी है।

18 मई, 2010 को मीठे पानी की डॉल्फिन को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा, पाकिस्तान में सिंधु नदी में खुला, चीन में नदी में बाजी, और ब्राजील के अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है।

डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत एवं बाबरनामा में भी मिलता है। 5 अक्टूबर, 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सुझाव पर गंगा नदी में पाए जाने वाले विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए जाने का आग्रह किया गया था जिसके बाद यह फैसला लिया गया था।

इसका शिकार दंडनीय अपराध है। शिकार करते हुए पकड़े जाने पर 6 साल की कारावास तथा ₹5000 के जुर्माने का प्रधान प्रावधान है।

राष्ट्रीय वाक्यः सत्यमेव जयते

भारत का राष्ट्रीय वाक्य 'सत्यमेव जयते' मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है–'सत्य की जीत होती है'। अशोका स्तंभ, वाराणसी के निकट सारनाथ के सिंह स्तंभ से यह वाक्य लिया गया है। यह वाक्य महामना मदन मोहन मालवीय के प्रेरणा से प्रयुक्त हुआ। यह मंत्र पूर्ण रूप से इस प्रकार हैः

सत्यमेव जयते नानृतमसत्येन पंथा वितो देवयानः।
येनाक्रमंत्यृषयो ह्याप्तकामो यत्र तत्सत्यस्य परं निधानम्।।

अर्थ– सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा–पथ विस्तृत हुआ, जिसके द्वारा आप्तकाम (जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है) ऋषिगण वहां आरोहण करते हैं (उस पर चढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं)।

राष्ट्रीय फूल: कमल

भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। यह एक पवित्र फूल है तथा भारतीय प्राचीन कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

इसका वैज्ञानिक नाम *नीलंबियन न्यूशिफेरा* है। यह दलदली पौधा है। जिसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में भी रुक सकती है। जलीय पौधों में पहला नाम कमल का आता है। रंग और आकार के हिसाब से इसकी बहुत सी जातियां हैं पर अधिकतर लाल, सफेद और नीले रंग के कमल देखे गए हैं।

कमल का पर्यायवाची शब्द है–पुष्कर, सहस्त्रदल, वनज, वारिज, सरोज, जलज, उत्पल, राजीव, पंकज, नीरज, नलिन, अरविंद, पद्म, जलजात, शतदल, अंबुज, पुंडरीक आदि हैं।

हमारे देश में कमल कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाया जाता है। कमल को देश के अलग–अलग भागों में भिन्न–भिन्न नामों से पुकारा जाता है। असमी में पोदम्, बांग्ला व संस्कृत में पद्म; हिंदी में कंवल, कमल व पुरैन; कश्मीरी व पंजाबी में पैंपूस, कन्नड़ में तवारिगिड़ा; खासी

में सोहलापुदांग; मलयालम में तमारा या चेनतभारा, तमिल में तमारी, तेलुगु में कलुंग या इर्रा–तमारा; मराठी में कमल कहा जाता है।

कमल एक बहु वर्षीय जलीय पौधा है। इसकी पत्तियां स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर लहराती रहती हैं। तैरने वाली पत्तियां काफी बड़ी (लगभग 20 से 80 सेंटीमीटर तक), चौड़ी, चपटी व लंबे परिवृत्त वाली होती है। यह सभी पत्तियां हरे रंग की एवं चमकदार होती है। इन की सतह पर तैलीय परत की उपस्थिति के कारण यह अत्याधिक चिकनी होती है। कमल के राइजोम को भारत में 'कमल ककड़ी', 'नदरू' या 'भैं' कहा जाता है। इन्हें कच्चा, आचार या सब्जी बनाकर खाया जाता है। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके राइजोम का चूर्ण बवासीर में काफी लाभकारी है। इसकी पत्तियों का रस गर्मी के प्रभाव को दूर करता है। वह इसके पुष्प यकृत रोगों तथा बुखार में प्रभावी पाए गए हैं।

कमल का पौधा वैदिक बौद्धिक एवं जैन संस्कृति का प्राचीन काल से अभिन्न अंग रहा है। हिंदू, जैन व बौद्ध धर्मावलंबी कमल के पुष्प को अत्यंत पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म में जो स्थान कमल के पुष्प को प्राप्त हुआ है, वह किसी अन्य पुष्प को प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी माता और कमल का संबंध अविभाज्य है। कमल सृष्टि की विधि का घोतक है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्मपुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी–देवताओं की स्थिति कमल में है। कमल आध्यात्मिकता, ध्यान, ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। पुष्प की संरचना व खुशबू आकृति में विविधता लिए होता है। पुष्प किसी भी धार्मिक अनुष्ठान समारोह अथवा धार्मिक या सामाजिक त्योहार के अभिन्न अंग होते हैं। मूर्ति शिल्प में समुद्र की सतह पर शयन मुद्रा में भगवान विष्णु को प्रदर्शित किया गया है। विष्णु भगवान की नाभि से कमल पुष्प भूत होता है। जिसके आंतरिक चक्र में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा विराजमान होते हैं। देवी कमला हिंदू देवी देवताओं में महत्वपूर्ण श्री लक्ष्मी का ही एक रूप है। कमल श्री लक्ष्मी देवी विष्णु भगवान की जीवनसंगिनी है, जो ऊर्जा का केंद्र बिंदु है।

कमल का ऐतिहासिक महत्व भी है। सन् 1857 की क्रांति में कमल व रोटी का प्रयोग क्रांति संदेश को दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए भी किया गया था।

दीवारों और भित्ति की सज्जा में कमल के अभिप्राय को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाता है। बंगाल में इसे अल्पना बिहार में अरिपना, राजस्थान में मांडना, ओडिशा में ओसा, तथा तमिलनाडु में कुलम के नाम से जाना जाता है। कमल पर आधारित वर्णनात्मक शब्दों के अर्थ वेदों को प्रदर्शित करते हुए कुछ एकल उदाहरण निम्न प्रकार से हैं:

पद्मिनी– कमल की स्वामिनी
पद्मवर्णा– कमल समान रंग वाली
पद्माक्षी– कमल समान नेत्रों वाली
पद्ममानना– कमल समान मुख वाली

कमल के संदर्भ में अनेक लोकप्रिय भारतीय नाम भी विद्यमान है। जैसे– कमला, कमलिका, कमलिनी, कमलाक्षी, पद्मा, पद्मावती आदि कमल पुष्प से ग्रहण किए गए कुछ नाम हैं।

नई दिल्ली में कमल के समान आकृति वाली लोटस टेंपल का भी निर्माण किया गया है। अनेक स्मारकों के वास्तविक मेहराब पर कमल के समान आकृति और नक्काशी देखने को मिलते हैं। मंदिरों तथा मस्जिदों के आंतरिक गुंबद भी खिले हुए कमल पुष्प के नमूनों से अलंकृत होते हैं। भारत में शास्त्रीय तथा लोक नृत्य परंपराओं में भी कमल के समान मुद्रा बनाई जाती है। भारतीय योग परंपरा में भी 'पद्मासन' अर्थात् कमल के समान आसन की मुद्रा में बैठने का वर्णन मिलता है।

भारत का राष्ट्रीय पंचांग: शक संवत्

भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को कहा जाता है। यह 78 वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। 22 मार्च, 1957 को इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इसे कनिष्क ने चलाया या किसी अन्य ने, इस पर मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि यह कनिष्क के साथ ही आरंभ हुआ।

राष्ट्रीय पंचांग का आधार हिंदी महीने महीने के दिनों की गणना तिथियों के अनुसार होती है। परंपरागत हिंदू कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। पंचांग अर्थात् 'पाँच अंग' अर्थात् इसमें पाँच पहलू निहित हैं–

दिन या सौर दिवस, तिथि अथवा चंद्र दिवस, नक्षत्र अथवा तारामंडल, योग और करण।

चैत्र इसका पहला महीना होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थाई रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः 1 चैत्र, 22 मार्च को पड़ता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। भारत में पश्चिमी सभ्यता से 7 दिन के सप्ताह की प्रक्रिया को भी अपनाया और सप्ताह के 7 दिनों के नाम भी अनुरूप ग्रहों के अनुसार रखे हैं– सूर्य के आधार पर रविवार, चंद्रमा के आधार पर सोमवार, मंगल के आधार पर मंगलवार, बुध के आधार पर बुधवार, बृहस्पति के आधार पर बृहस्पतिवार, शुक्र के आधार पर शुक्रवार, शनि के आधार पर शनिवार। महीनों के नाम भी बदल दिए गए हैं–जैसे चैत्र (मार्च–अप्रैल), वैशाख (अप्रैल–मई), जयेष्ठ (मई–जून)... आदि। राष्ट्रीय परंपरागत कैलेंडर में 12 भारतीय मास माने गए हैं– चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, और फागुन। चैत्र से भादो तक का प्रत्येक मास में 31 और आश्विन से फागुन तक प्रत्येक मास में 30 दिन होते हैं। लीप वर्ष में चैत्र मास में 31 दिन होंगे अन्यथा सामान्य वर्षों में 30 दिन ही रहेंगे। लीप वर्ष में चैत्र मास के प्रथम तिथि 22 मार्च के बजाय 21 मार्च होगी।

भारत सरकार द्वारा नवंबर 1952 में प्रोफेसर मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में एक कैलेंडर सुधार समिति का गठन किया गया था। जिसका उद्देश्य वर्तमान में देश में अपनाए गए सभी प्रचलित कैलेंडरों की जाँच करना। संबंधित विषय के वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात संपूर्ण भारत के लिए एक परिशुद्ध व एक रूप कैलेंडर बनाने हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत करना था। वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात् कैलेंडर सुधार समिति ने संकेत दिया कि सांसारिक व प्रशासनिक उद्देश्य हेतु विश्व भर में प्रयुक्त ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अत्यंत अवैज्ञानिक तथा और असुविधाजनक कैलेंडर है। कैलेंडर सुधार समिति ने वर्ष 1955 में भारत सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने निश्चय किया की 21 मार्च, 1956 ईस्वी अर्थात 1 चैत्र, संवत् 1878 से एकीकृत राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का प्रयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय वृक्ष: बरगद

भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद के वृक्ष को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद व पंचायत इसी वृक्ष की छाया में बैठक करती है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हमेशा खिलते रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक है। भारत की एकता इस पेड़ के विशाल और गहरी जड़ों से प्रतिबिंबित होती है। इस पेड़ को 'कल्पवृक्ष' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है–सभी इच्छाएं पूरी करने वाला। बरगद का पेड़ विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों को आश्रय देता है, जो भारत और उसमें रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों और विविधताओं का प्रतीक है।

बरगद का वानस्पतिक नाम *फाइकस बंगालेंसिस* है। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सब पुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती है तथा बढ़ते हुए जमीन के अंदर घुस जाती है एवं स्तंभ बन जाती है। इन जड़ों को प्ररोह या प्राप्त जड़ कहते हैं। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है किंतु इसका पेड़ बहुत विशाल होता है। यह पेड़ अत्यंत छायादार होता है और इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है, इसलिए वटवृक्ष भी कहा जाता है। उसके पत्तियों, शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने पर दूध जैसा रस निकलता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्प काल है। बरगद के पेड़ में अपार औषधीय गुण होते हैं।

हिंदू धर्म में वटवृक्ष के बहुत महत्ता है। अनेक व्रत एवं त्योहारों यथा मौनी अमावस्या, शीतला अष्टमी, सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष की पूजा की परंपरा खासतौर से हिंदू शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपनी लंबी और खुशहाल शादीशुदा जीवन की कामना के लिए होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव का आसन है, और इसी पर बैठकर वह संतो को उपदेश देते हैं।

राष्ट्रीय पशु: बाघ

भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सुंदरता, ताकत, फुर्तीलेपन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में गौरवान्वित किया गया। बाघ की दहाड़ उसकी शक्ति का प्रतीक है।

इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को 'रॉयल बंगाल टाइगर' के नाम से जाना जाता है। यह भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है। परभक्षी होने के कारण बाघ पारिस्थितिकी संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसकी 8 प्रजातियों में से जावा बाघ, बाली बाघ और कैरेबियाई बाघ विलुप्त हो गए हैं। चीनी बाघ विलुप्त होने के करीब है, और सुमात्राई, साइबेरियाई और भारतीय उप प्रजातियां रेड डाटा बुक में संकटपन्न बताए गए हैं। इसके बावजूद विश्व के बाघों का कुल आबादी का 60प्रतिशत हिस्सा भारत में ही रहता है।

भारत में वर्ष 1972 में पहली बार बाघों की गणना हुई, तब पता चला कि देश में सिर्फ 1800 बाघ ही बचे हैं। इसे बचाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (बाघ परियोजना) योजना शुरू की। प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करता है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए इलाकों को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित रहती है। देश में सरकार ने 38 टाइगर रिजर्व घोषित किया

है। 1970 के दशक में अधिकतर देशों में शौकिया शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा बाघ की खाल का व्यापार गैरकानूनी बना दिया गया। बाघ के अंगों, खोपड़ीयों, हड्डियों, स्नायु तंत्र और खून को लंबे समय से एशियाई लोग विशेष रूप से चीनी औषधि और शक्ति वर्धक बनाने में इस्तेमाल करते रहे हैं। इसलिए इनका अवैध शिकार होता था।

शुरू में बाघों की गिनती पहले उनके पंजे के निशान के आधार पर होती थी। लेकिन वर्ष 2007 में गणना की नई पद्धति का इस्तेमाल किया गया। भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 28 मार्च, 2011 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक बाघों की संख्या कम से कम 1571 और अधिक से अधिक 1875 है। माना गया है कि अब सिर्फ 1411 बाघ ही बचे हैं। वहीं वाइल्ड वाइल्ड फंड के अनुसार, दुनिया में सिर्फ 32 बाघ बचे हैं। इनके संरक्षण के लिए हर साल बाघ दिवस मनाया जाता है।

बाघ बिल्ली प्रजाति का मांसभक्षी चौपाया पशु है। पीताभ रंग के इस पशु पर काले रंग की धारियां बनी होती हैं और इसके गर्दन में अयाल नहीं होती। इसके उदर का रंग सफेद होता है। बाघ अपनी शक्ति एवं भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। बाघ का बायलॉजिकल नाम *पैंथेरा टिगरिस* है। बाघ को शार्दुल, व्याघ्र, नाहर आदि नामों से जाना जाता है। यह 9 से 10 फुट लंबा चौड़ा होता है। पूँछ के सिरे पर बालों का गुच्छा नहीं होता। गर्मियों में यह अपना काफी समय पानी में बिताता है। बाघ साइबेरिया जैसे ठंडे इलाके से आया है। बाघिन एक बार में 5 से 6 शावकों को जन्म देती है, जिनमें से केवल दो या तीन शावक ही प्रौढ़ावस्था तक पहुंच पाते हैं। बाघ के शावक जन्म के समय नन्हें दृ ष्टिहीन और असहाय होते हैं तथा पहले 3 माह तक भोजन के लिए अपनी मां पर ही आश्रित होते हैं। एक बाघ की अधिकतम आयु लगभग 20 वर्ष होती है।

प्राचीन काल में भी बाघ का वर्णन कई स्थानों पर मिलता है। भारत में बाघ की प्राचीनतम आकृतियां 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध मोहरों पर प्राप्त हुई थी। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को 'मैसूर का बाघ' भी कहा जाता है, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों तथा राजा महाराजाओं ने हजारों बाघों का शिकार किया खाल

के लिए बाघों को मारकर इनका व्यापार आरंभ किया गया, क्योंकि उन दिनों बाघ की खाल पहनने का बहुत रिवाज था।

वर्ष 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह हुआ करता था। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया। बाघ की आँखें चमकदार, शक्तिशाली जबड़ा और दहाड़ से कंपकपी पैदा कर भयभीत करने वाला होता है। बाघ को 'वन की आत्मा' भी कहा जाता है।

राष्ट्रीय लिपि: देवनागरी

भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। इस लिपि की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके अक्षरों के सिरों पर रेखाएं इतनी लंबी हैं जितनी कि इसके अक्षरों की चौड़ाई है। एक मत के अनुसार गुजरात के 'नागर' ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था, इसी कारण इसका नाम 'नागरी' पड़ा। दक्षिण के विजयनगर राजाओं के दान पात्रों की लिपि को 'नंदी–नागरी' का नाम दिया जाता है। नागरी या देवनागरी शब्द उत्तर भारत में आठवीं शताब्दी से आज तक लिखे गए सभी लेखों की लिपि शैलियों के लिए प्रयुक्त होता है। दक्षिण के प्रशासकों ने भी अपनी लेखों के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया था। इसी लिपि का कालांतर में 'ग्रन्थ लिपि' नाम पड़ गया। देवनागरी लिपि में बाँये से दाँये लिखा जाता है।

देश की बहुत सारी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं– जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, कश्मीरी, प्राकृत, पाली तथा कुछ अर्थों में गुजराती, पंजाबी एवं बंगाली इत्यादि। दो–तीन अक्षरों को छोड़कर गुजराती की संपूर्ण लिपि शिरोरेखा विहीन देवनागरी ही हैं। सिंधी भाषा की लिपि पहले देवनागरी ही थी। दक्षिण के विजयनगर राज्य में भी देवनागरी का प्रयोग होता था। 15वीं शताब्दी के बाद तो उस प्रदेश के प्रधान लिपि देवनागरी ही थी।

राष्ट्रीय मुद्रा: रुपया

रुपया पिछले कई सौ सालों से पूरे दक्षिण–एशिया की मुद्रा है। भारत के राष्ट्रीय मुद्रा का नाम रुपया है। शेरशाह सूरी के शासनकाल 1540–1545ई. के दौरान शुरू किया गया रुपया आज तक प्रचलन में है। इस समय या भारत के साथ ही पाकिस्तान, नेपाल श्रीलंका और इंडोनेशिया की मुद्रा है और हर जगह इसकी कीमत अलग–अलग है। ब्रिटिश काल में एक रुपए के चाँदी के सिक्के (11.66 ग्राम) को 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था। रुपए का दशमलवीकरण 1869ई. में सीलोन (श्रीलंका) में, 1957 ई. में भारत और 1961ई. में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार, एक भारतीय रुपया सौ पैसों में विभाजित हो गया। इंडोनेशिया की मुद्रा रूपिया और मालदीव की मुद्रा रूफिया के नाम से जाना जाता है, जो असल में हिंदी शब्द रुपया का ही बदला हुआ रूप है।

भारतीय मुद्रा रुपया, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। इस मुद्रा का चलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपए का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के 'र' और रोमन लिपि के 'आर' को मिलाकर बना है। जिसमें एक समांतर रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज के बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिह्न को स्वीकार किया। यह चिह्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पोस्ट ग्रैजुएट डिजाइन श्री डी. उदय कुमार ने बनाया है। इस चिह्न को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना गया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय नागरिकों से रुपए के चिह्न के लिए डिजाइन आमंत्रित किए गए थे। अमेरिकी डॉलर, यूके के पाउंड

स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरोपीय यूनियन के यूरो के बाद रुपया पांचवी ऐसी मुद्रा बन गई है जिसे उसे सिंबल से पहचाना जाएगा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में गठित एक निर्णायक मंडल ने इस डिजाइन का चयन किया था।

भारत के वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यह अपरिवर्तनीय कागज करेंसी प्रणाली पर आधारित है। रुपया एक सांकेतिक सिक्का है, जिसका प्रत्यक्ष मूल्य इस में लगाए गए धातु के मूल्य से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ₹2 से ₹2000 तक के नोट छाप सकता है, और उन्हें जारी भी कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में सिक्के 800 ईसा पूर्व प्रकाश में आए। 1770ई. के बाद भारत में कागज के नोट जारी करने का श्रेय बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और द बंगाल बैंक को जाता है। शुरुआत में कागज के नोटों पर केवल एक ही तरफ छपा होता था। बाद में बैंक नोटों के मुद्रण और वितरण का दायित्व वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में आ जाने पर जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्टम के चित्र वाले नोट जारी किए गए, जो वर्ष 1947 तक प्रचलन में रहे। स्वतंत्रता के बाद उनकी छपाई बंद हो गई और सारनाथ के सिंह के स्तंभ वाले नोटों ने इनका स्थान ले लिया। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आना में विभाजित रहा, परंतु उसके बाद मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और ₹1 की गणना 100 पैसों में की जाने लगी।

महात्मा गांधी वाले कागजी नोटों की श्रृंखला 1996 में शुरू हुई, जो आज तक चलन में है। भारतीय रुपए के नोट के भाषा पटल पर 22 सरकारी भाषाओं में से 15 भाषाओं असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू में इसका मूल्य मुद्रित है। वर्ष 1946 तक रुपया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से संबंधित था। रुपए का दर एक सीलिंग और 6 पेंस थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और इस कोष के संस्थापक सदस्य होने के कारण भारत को यूएस डॉलर के रूप में रुपए का बाहरी मूल्य निश्चित करना था। वर्ष 1990 में रुपए की विनिमय दर 21 थी, वहीं 2004 में यह ₹40 थी।

राष्ट्रीय नदी: गंगा

गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह उत्तराखंड के हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। इसकी धारा पहाड़ों में मंदाकिनी और अलकनंदा की धाराओं के सम्मेलन से बनती है। यह बांग्लादेश के सुंदरवन द्वीप में गंगा डेल्टा पर आकर व्यापक हो जाती है और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिलकर इसकी यात्रा पूरी होती है।यह नदी हिमालय से बंगाल बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की एक चौथाई भू–भाग को सिंचित करती है। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह मैदान करीब 10,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा गया है।

नवंबर 2008 में भारत सरकार ने इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं जन–जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। भारत की समस्त नदियों में सबसे पावन गंगा ना केवल सबसे लंबी है वरन् सर्वाधिक महत्व की सरिता है। गंगा से भारतीय मनीषियों का गहरा लगाव रहा है। इसके तट पर अनेकानेक आश्रम मंदिर मंथ व तीर्थ स्थल हैं, जहां असंख्य साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, योगी और संत अपनी आराधना, साधना और तपस्या में लीन रहकर परमानंद की प्राप्ति का प्रयास करते हैं।

कई औद्योगिक और धार्मिक नगर इसके किनारे बसे हैं। परंतु वर्षों पूर्व जो गंगा की अविरल था और निर्मलता के लिए मशहूर थी आज आपने गंदगी के लिए जानी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणु व अन्य हानिकारक को जीवित नहीं रहने देते। दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में बढ़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। गंगा की असीमित शुद्धिकरण क्षमता के बावजूद इसका प्रदूषण रोका नहीं जा सका है। आलम यह है कि गंगा के संपूर्ण से उसकी मूल प्राकृतिक वनस्पति हो गई है। इसमें मछलियों की 140 प्रजातियां, 35 सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है। गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। गंगा का

बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की 12 प्रतिशत बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का जल है। यह घोर चिंतनीय है कि जीवनदायिनी कहे जाने वाले गंगा का जल ना तो स्नान के योग्य है ना पीने के योग्य और ना ही सिंचाई के योग्य। इस पर बने फरक्का व टिहरी बांध भी इसकी अविरलता को प्रभावित कर रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा को साफ करने के लिए वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया था, लेकिन ₹10 से अधिक राशि खर्च करने के बाद भी गंगा साफ नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन हुआ, लेकिन निर्मल गंगा और भी गंदी हो गई। नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। अब राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन और गंगा पुनर्जीवन से जुड़े अन्य सभी मामले को जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया है। गंगा को निर्मल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 'नमामि गंगे योजना' की घोषणा की है। इसके लिए सात पुराने आईआईटी मिलकर इस योजना को प्रभावी बनाने में लगे हैं।

गंगा के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। पुराणों में इसे हिमालय की पुत्री माना है और इनकी माता का नाम मनोरमा लिखा है, जो सुमेर की कन्या थी। एक कथा के अनुसार, गंगा पहले स्वर्ग में थी। जब राजा सागर के साठ हजार पुत्रों को कपिल ऋषि ने श्राप से भस्म कर दिया था, तब उनके उद्धार के लिए भागीरथ अपनी तपस्या से गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। पृथ्वी पर आने के पश्चात गंगा भागीरथ गंगा सागर में जा रही थी, इसी बीच जाह्नु ऋषि ने उन्हें अपने योग बल से पी लिया। भागीरथ के बहुत प्रार्थना करने पर उन्हें अपने जानू (घुटने) से निकाला।

गंगा सिर्फ नदी नहीं, प्राणधारा है, और इतने लोगों की गहरी आस्था है कि इसके जल के बिना कोई संस्कार पूरा नहीं होता। जहां–जहां गंगा नहीं है, वहां गंगाजली रखते हैं। श्रद्धालु पात्रों में गंगाजल भरकर ले जाते हैं। गंगा तट पर मां गंगा के पूजा–अर्चना होती

है। पवित्र होने के लिए, स्नान के लिए, शवदाह, श्राद्ध, तर्पण, अस्थि विसर्जन सभी कुछ गंगा जल में ही होता है। घरों में गंगा जल से मार्जन, अभिषेक, आचमन, मरणासन्न के मुख्य में गंगाजल डालना, शोक सूचना पत्र पर गंगा लिखना, मुख पवित्र करने के लिए गंगा घोष करना, किसी जल को पवित्र करने के लिए उसने गंगाजल की कुछ बूंदे मिलाना, गंगा की कसम और शपथ के लिए गंगा जली उठाना इसकी गहरी आस्था के प्रतीक हैं। गंगा को मां मानते हुए उसे पूजने और उसके प्रति आदर भाव मन में संजोने में सिर्फ हिंदू ही नहीं; मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि भी पीछे नहीं है। बनारस में तो अनेक मुस्लिम शायर, संगीतकार और कलाकार अपनी साधना गंगा घाटों पर ही करते हैं। क्योंकि माना जाता है कि गंगा का उतरन स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए उसे 'सुरसरि' भी कहा जाता है।

सदियों से सभी धर्म और समाज के सभी वर्गों ने गंगा की माता की चर्चा करते हुए स्तुति गान किया है। उसके पवित्र जल का आचमन सब ने किया है। अबुल फजल ने 'आईने अकबरी' में लिखा है–''शहंशाह अकबर गंगाजल पीना ही पसंद करते थे। यह निश्चित करने के लिए किसानों को लगातार शुद्ध और ताजा गंगाजल मिलता रहे, एक अलग विभाग का गठन किया गया था।'' बाद में अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और औरंगजेब ने भी इस परंपरा को जारी रखे। आज भी विदेशों में रहने वाले वंशी भारत से गंगाजल मंगवाते हैं या स्वयं भारत आने पर इसे अपने साथ ले जाते हैं। इब्नबतूता ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक गंगाजल पीने के लिए दौलताबाद जाया करता था। औरंगजेब भी नियमित रूप से गंगाजल का ही सेवन करता था और यात्रा में भी ऊँटों पर लादकर गंगाजल ले जाया करते थे। विजयनगर ने काशीराज से युद्ध जीता तो संधि की शर्ते थी कि हाथियों पर गंगाजल के घड़े रखकर भेजे जाए, जिससे वहां के सरोवर भर सके। काशीराज ने ब्रिटेन में गंगाजल का कुआँ बनवा दिया। एडवर्ड मूर के अनुसार, साइनवर के नवाब केवल गंगाजल पीते थे।

राष्ट्रीय पुरस्कार: भारत रत्न

भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी, 1954 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। शुरुआत में इस में मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी को यह सम्मान कभी नहीं दिया गया। यह प्रावधान वर्ष 1955 में जोड़ा गया।

मूल रूप से इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण में ढ़ाला गया था, जिसमें सामने सूर्य बना था। ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पाहार था। पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिह्न और मोटो था। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का पॉलिस कर चमकता सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है– भारत रत्न और सफेद पट्टी में पिरो कर गले में पहना जाता है।

पहली बार यह उपाधि वर्ष 1954 में तीन लोगों को दी गई। वे थे डॉ. राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉ. श्री वेंकट रमन। वर्ष 1954 में यह उपाधि पहली बार सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन को दी गई। वर्ष 1954 के भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों में श्री राजगोपालचारी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू 1950 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जगह राष्ट्रपति बनवाना चाहते थे, पर वे सफल नहीं हो सके थे। बाद में डॉ. राधाकृष्णन ने जब वर्ष 1962 में राष्ट्रपति बने तो खुद उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया था। उस वर्ष सिर्फ एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिला।

राष्ट्रीय गीतः वंदे मातरम

भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिमचंद्र चटर्जी हैं। पूरे राष्ट्रीय गीत की पंक्तियां इस प्रकार हैंः

वंदे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलां मातरम्।
वंदे मातरम्।।
शुभ्रज्योत्स्ना–पुलकित यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित–द्रुमदलशोभिनीम्,
सुखदां वरदां मातरम्।
वंदे मातरम्।।

सप्तकोटिकंठ–कल–कल –निनाद कराले,
द्विसप्तकोटी भुजैर्धृतखरकरवाले,
अबला केन मा एत बले!
बाहुबलधारिणी नमामितारिणीं,
रिपुदलवारिणीं मातरम्।
वंदे मातरम्।।

तुमि विद्या तुमि धर्म
तुमि ह्रदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मां शक्ति,
ह्रदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि
मंदिरे मंदिरे मातरम्
वंदे मातरम।।

त्वं ही दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमल कमल–दल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां
नमामि कमलाम् अमलां अतुलां
सुजलां सुफलां मातरम्।
वंदे मातरम्।।

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्,
धरणीं भरणीम् मातरम्।
वंदे मातरम्।।

वंदे मातरम का भावार्थ :

हे माते! तुम्हें प्रणाम है। महाद्वीप जैसा यह हमारा यह विशाल देश प्रचुर मात्रा में सृष्टि सौंदर्य और विविधता से संपन्न है। गंगा–यमुना–कावेरी नर्मदा जैसी सदानीरा महानदियों का जल पवित्र है। ऐसे पावन जल से सिंचित यहां की धरती फलों–फूलों और धन से समृद्ध हो गई है। इस लहलहाती फसल के कारण तुम हमें श्यामल वर्ण की प्रतीत हो रही हो। मलयगिरि से निकली हुई वायु वहां के चंदन वृक्षों के शीतल सुगंध अपने साथ ला रही है। यहां के चंदन जैसे वृक्ष भी खुद घिसकर दूसरों को प्रफुल्लित करने का तत्वज्ञान करते हैं।

स्वच्छ धवल तारों के प्रकाश के कारण यहां का समूचा आकाश तेजोमय हो जाता है, जिससे यहां की रातें पुलकित हो जाती हैं। बादल रहित आसमान इन तारों से जिस तरह सुशोभित होता है, उसी तरह दिन में यहां की जमीन पर व्याप्त हरियाली के कारण भी धरती सुंदरता प्राप्त करती है। ऐसी तुम सौन्दर्यशालिनी माता अपनी संतानों का लालन–पालन करने के लिए कष्ट उठाती हो, फिर भी अपने मुख पर मुस्कुराहट प्रसन्नता और शांति का भाव धारण करके अपने कष्टों का आभास तुम हम संतानों को नहीं होने देती। हमारे उत्कर्ष के लिए अपनी मिठास भरी वाणी से प्रोत्साहित करती रहती हो। इसलिए हे माते मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ।

ऐसी हमारी इस माता पर हम संतानों को भी गर्व है। हमारे करोड़ों कंधों से तुम्हारी ही जय जयकार होती है। हमारे करोड़ो हाथों में चमकने वाले वस्त्रों में तुम्हारे सामर्थ्य की प्रतीत होती है। फिर तुम्हारे

इन संगठित और सामर्थ्यवान पुत्रों के होते हुए तुम्हारे जैसी बल संपन्न माता की तरफ टेढ़ी नजर से देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। फिर तुम्हें अबला कहने की धृष्टता कौन करेगा? तुम तो बाहुबल धारिणी हो। यहां आक्रमण करने की बात सोचने वाले शत्रु का विनाश कर सभी को तारने वाली तेजस्विनी शक्ति तुम हो। इसलिए हे माते! हम तुम्हें प्रणाम करते हैं।

हे भू–माते! तुम ज्ञानमयी हो। ज्ञानदायिनी हो। तुम तो विविध ज्ञान शाखाओं की जननी हो। तुम धर्म स्वरूप हो। तुम्हारी रक्षा करना ही हमारा धर्म है, क्योंकि तुम हमारे अंतःकरण का ही एक हिस्सा हो। हे माते! तुम्हारे भुजाओं की शक्ति तुम ही हो। हमारे ह्रदय में स्थित जो भक्ति है, वह तुम ही हो। तुम्हारी भक्ति करना ही हमारे जीवन का निष्कर्ष है। हमें सब तरफ तुम्हारी ही प्रतिमाएं मिलती हैं। हमें मंदिर–मंदिर में तुम्हारे ही रूप का दर्शन होता है। इसलिए हे माते! हम तुम्हें प्रणाम करते हैं।

हे जगन्माते! तुम दस हाथों में दस शस्त्र धारण करके शत्रु का विनाश करने वाली भीषण स्वरूपा दुर्गा–काली हो। कमल–पुष्पों में विराजमान कमला भी तुम हो। विद्यादायिनी सरस्वती भी तुम हो। हे ऐश्वर्यदायिनी माँ! किसी अन्य से तुलना हो ही नहीं सकती। तुम पवित्र जल से युक्त और फलों से समृद्ध हो।

यहां की फसल के कारण तुम्हारा रूप श्याम वर्ण का प्रतीत होता है। सरल चरित्र का आदर्श जिसे कहना चाहिए ऐसी प्रसन्नवदना तुम हमें धारण करती हो। तुम ही हमारा लालन–पालन करती हो। हे माते! तुम्हें प्रणाम है।

24 जनवरी, 1950 के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को प्रार्थना गीत के रूप में स्वीकार किया गया। वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने 26 जनवरी, 1950 ई. को अपनाया था। वंदे मातरम् मूलतः 'आनंदमठ' (1882 ई.) पुस्तक से लिया गया है, जिसकी रचना वंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में की गई थी।

वंदे मातरम की रचना की तिथि बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, किंतु एक अनुमान के अनुसार 1872ई. से 1875ई. के बीच बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी।

1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को प्रथम बार विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने गाया था। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी।

6 अगस्त, 1905ई. को कोलकाता के टाउन हॉल में बंग–भंग विरोध दिवस मनाने का आयोजन किया गया था। जनता की छोटी–छोटी टोलियां वंदे मातरम् गीत गाते हुए और नारा लगाते हुए टॉउन हॉल के मैदान में एकत्र हुई थी। यह वही ऐतिहासिक सभा थी, जिसमें जनता को सर्वप्रथम 'वंदे मातरम्' का नारा मिला था।

सन 1909 में पेरिस में भारतीय देशभक्तों ने वंदे मातरम नाम से पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया।

पूर्णिया के राजा कमलानंद सिंह और श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में इसका अनुवाद किया। अंग्रेजी में महर्षि अरविंदो, एन.एल.दत्ता और राम शर्मा ने वंदे मातरम गीत का अनुवाद किया। वंदे मातरम् गीत का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था।

14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत आजाद हुआ उस समय श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गीत गाया था। 24 अगस्त, 1948ई. को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में प्रतिष्ठित किया गया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948ई. में लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था–''वंदे मातरम निर्विवाद रूप से भारत का प्रमुख राष्ट्रीय गीत है और महान ऐतिहासिक परंपरा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम से इसका निकट का संबंध रहा है। इसका स्थान सदा बना रहेगा और दूसरा कोई गीत विस्थापित नहीं कर पाएगा।''

भारतीय संसद का कोई भी अधिवेशन राष्ट्रगान से शुरू होता है और समापन राष्ट्रगीत से होता है। राष्ट्रगीत को गाने की अवधि 1 मिनट और 5 सेकेंड निर्धारित है।

सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्ला खान थे।

वंदे मातरम गीत की धुन प्रसिद्ध सितार वादक पन्नालाल घोष ने तैयार की है, जिनके द्वारा राग सारंग में स्वरबद्ध गाया जाता है। सन्

1949 में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी जिसके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था।

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम् को विश्व के सिर्फ 10 राष्ट्र गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत 'a nation once again' को मिला। वंदे मातरम स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का प्रतीकात्मक अनुस्मारक है।

"वंदे मातरम् गीत को छोड़कर सारा लेखन कुएँ में ले जाकर डूबो दो। वंदे मातरम् महान है, यह अमित है, यह देश के हृदय पर राज करेगा।" – बंकिम चंद्र चटर्जी

Mother, I bow to thee!
Rich with the hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Cool, with thy winds of delight,
Dark fields waving, mother of might
Mother free

Glory of moonlight dreams-
Over thy branches and lordly streams,
Clad in thy blossoming trees,
Mother, giver of ease
Laughing low and sweet!
Mother, I kiss thy feet,
Speaker sweet and low!
Mother, to thee I bow

by Shri Aurobindo
(Poetic Translation of Vande Mataram)

राष्ट्रगान: जन गण मन

भारत का राष्ट्रगान जन–गण–मन है। इसके रचयिता रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं। 24 जनवरी, 1950 को 'जन–गण–मन' को भारत के गणतंत्र के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।

जन–गण–मन अधिनायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्रविड़–उत्कल– बंग
विंध्य–हिमाचल–यमुना –गंगा
उच्छल – जलधि– तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।। 1।।

अहरह तव आह्वान प्रचारित
शुनि तव उदार वाणी
हिंदू बौद्ध सिख जैन
पारसिकमुसलमान–खृष्टानी
पूरब पश्चिम आसे
तव सिंहासन–पाशे
प्रेमहार हय गाँथा।
जन–गण ऐक्य विधायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।। 2।।

पतन–अभ्युदय–वन्धुर पन्था,
युग युग धावित यात्री
हे चीरसारथी, तव रथचक्रे
मुखरित पथ दिनरात्रि।
दारुण विप्लव–माझे,
तव शंखध्वनि बाजे,
संकट दुःख़त्राता।
जन–गण–पथ परिचायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।। 3।।

घोरतीमिरघन निविड़ निशीथे,
पीड़ित मूर्छित देशे
जाग्रत छिल तव अविचल
मंगल नतनयने अनिमेषे।
दुःस्वप्ने आतंके रक्षा करीले अंके,
स्नेहमयी तुमि माता।
जन गण दुःख त्रायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।। 4।।

रात्रि प्रभातिल उदिल रविच्छवि
पूर्व उदयगिरि भाले
गाहे विहंगम पुण्य समीरण
नवजीवन रस ढाले।
तव करुणारूणरागे
निद्रित भारत जागे
तव चरणे नत माता।

जय जय जय,
हे जय राजेश्वर,
भारत–भाग्य–विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।। 5।।

जन गण मन का हिंदी अनुवादः

तुम सबके मन के राजा हो, तुम भारत के भाग्य विधाता हो, तुम्हारी महिमा पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़, उड़ीसा, बंगाल, विंध्याचल और हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं तक व्याप्त है। तुम्हारा मधुर संगीत गंगा, यमुना नदियों में गूंज रहा है। सागर की लहरें तुम्हारा गुणगान करते हैं। यह लहरें तुम्हारा आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करती है। सबका कल्याण तुम पर निर्भर है। तुम भारत के भाग्य विधाता हो।

तुम्हारी विजय हो, विजय हो, विजय हो।

दिन–रात तुम्हारे पुकार सभी स्थानों से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, मुसलमान तथा ईसाई को एकत्रित करने के लिए पहुंचती है। तुम्हारी आराधना करने के लिए पूर्व तथा पश्चिम दिशाएं एक होती हैं। तुम्हें अर्पित करने के लिए जीवन माला गूँथी जाती है। तुम सबके हृदय में जीवन की समस्वरता लाते हो। तुम भारत के भाग्य विधाता हो।

तुम्हारी विजय हो, विजय हो, विजय हो।

राष्ट्रों के उत्थान–पतन से अनभिज्ञ तीर्थ यात्रियों के झुंड एक अंतहीन मार्ग से होकर गुजरता है। तुम्हारे चक्र की बुलंद ध्वनि से यह दल प्रतिध्वनित होता है। हे शाश्वत सारथी! नियति के बुरे दिनों से तुम्हारे तूर्यनाद की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। तुम मनुष्य मात्र को मृत्यु के पार लगाते हो! भवसागर के पार उतारते हो! तुम्हारे संकेत मात्र से मनुष्य के मार्ग स्पष्ट होते हैं! तुम भारत के भाग्य विधाता हो।

तुम्हारी विजय हो, विजय हो, विजय हो।

घना अंधेरा था और रात बहुत गहराई हुई थी। मेरे देश में मूर्च्छापूर्ण मृत्यु सामान चुप्पी थी। पर हे मातृभूमि, देश के भयंकर परेशानी से भरे

समय में भी तेरी ये बाहें उसके आसपास थी। हे मातृभूमि! तुम्हारे नेत्रों ने देश के परेशान मुख पर अपने स्नेह की निद्राहीन टकटकी लगाए रखी। तुम दुःखी जनमानस के उद्धारक उसकी सहभागी हो। तुम भारत के भाग्य विधाता हो।

तुम्हारी विजय हो, विजय हो, विजय हो।

रात्रि के बाद प्रातःकाल पूर्व के पर्वत शिखरों पर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और प्रातः कालीन नवजीवन से परिपूर्ण उच्छवास लेकर पवन आता है। तुम्हारी करुणामयी किरणों ने अपने आशीर्वाद से जागी भूमि को छू लिया है। राजाओं के राजा की जय हो! तुम्हारी भी जय हो। भारत के भाग्य विधाता की जय हो।

तुम्हारी विजय हो, विजय हो, विजय हो।

पूरे गीत के पांच छंदों में से मात्र एक छंद को ही राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर संक्षिप्त रूप से गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों गाने का समय करीब 20 सेकंड की गाई जाती है।

जन गण मन का इतिहास

सन् 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करता था। सन् 1905 में जब बंगाल विभाजन को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ बंग–भंग आंदोलन के विरोध में बंगाल के लोग उठ खड़े हुए तो अंग्रेजो ने अपने आपको बचाने के लिए राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली ले गए और 1911ई. में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया। पूरे भारत में उस समय लोग विद्रोह से भरे हुए थे, तो अंग्रेजों ने अपने इंग्लैंड के राजा को भारत आमंत्रित किया ताकि लोग शांत हो जाये। इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम 1911ई. में भारत आया। रविंद्रनाथ टैगोर पर दबाव बनाया गया कि तुम्हें एक गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखना ही होगा। उस समय टैगोर का परिवार अंग्रेजों के काफी नजदीक हुआ करता था। उनके परिवार के बहुत से लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे। उनके बड़े भाई अवनींद्र नाथ टैगोर बहुत दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कोलकाता डिवीजन के निदेशक रहे। उनके परिवार का

बहुत पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा हुआ था। रविंद्र नाथ टैगोर ने मन से या बेमन से जो गीत लिखा उसके बोल हैं– 'जन गण मन अधिनायक जय हे'। इस गीत के सारे के सारे शब्दों में जॉर्ज पंचम का गुणगान किया गया था। जिसका अर्थ समझने पता लगेगा कि अंग्रेजों की खुशामद में लिखा गया था। इस राष्ट्रगान का अर्थ कुछ इस प्रकार से होता हैः

''भारत के नागरिक, भारत की जनता, अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझती है और मानती है। हे अधिनायक, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारे भारत आने से सभी प्रांत पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगाल आदि और जितनी भी नदियां जैसे यमुना और गंगा यह सभी हर्षित हैं, खुश हैं। तुम्हारा नाम लेकर ही हम जागते हैं और तुम्हारा नाम के आशीर्वाद चाहते हैं। तुम्हारी ही हम गाथा गाते हैं। हे भारत के भाग्य विधाता! तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।''

27 दिसंबर, 1911 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन के लिए रविंद्र नाथ टैगोर ने जन–गण–मन गीत गाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने की थी।

यह गीत 27 दिसंबर, 1918 को पहली बार सार्वजनिक तौर पर एक राजनैतिक समारोह में कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन गाया गया था। रवींद्रनाथ ठाकुर के संपादन में प्रकाशित 'तत्वबोधिनी' पत्रिका के सन् 1912 के अंक में 'भारत भाग्य विधाता' शीर्षक से यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ था। स्वयं गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने 'द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया' शीर्षक के अंतर्गत इस गीत को अंग्रेजी में अनुवादित किया। कवि रविंद्रनाथ का यह अनुवाद मद्रास की मदनपल्ले कॉलेज की पत्रिका में पहली बार प्रकाशित किया गया। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इस गीत के बारे में घोषणा की कि टैगोर का गीत 'जय हे' हमारा राष्ट्रगान बन गया है।

संविधान सभा के अंतिम सत्र के दिन 24 जनवरी, 1950 को सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित जन–गण–मन को भारत के गणतंत्र के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।

राष्ट्रगान की जो धुन बजाई जाती है, उसे आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी।

राष्ट्रगान बजाने का नियम :

राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जाता है।

1. नागरिक और सैन्य अधिष्ठापन
2. जब राष्ट्र सलामी देता है अर्थात इसका अर्थ है राष्ट्रपति और संबंधित राज्य/संघ–राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यपाल/उप–राज्यपाल को विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान के साथ (राष्ट्रीय सलामी, सलामी–शस्त्र समादेश)
3. परेड के दौरान चाहे उपरोक्त में संदर्भित विशिष्ट अतिथि उपस्थित हो या नहीं
4. औपचारिक राज्य कार्यक्रमों और सरकार द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन और सामूहिक कार्यक्रमों में तथा इन कार्यक्रमों से उनके वापस जाने के अवसर पर
5. ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के संबोधन के तत्काल पूर्व और उसके पश्चात
6. राज्यपाल/उप–राज्यपाल के उनके राज्य/संघ–राज्य के अंतर्गत औपचारिक राज्य कार्यक्रमों में आगमन पर तथा इन कार्यक्रमों से उनके वापस जाने के समय
7. जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाया जाए
8. सैन्य दलों के ध्वजों के प्रस्तुत किए जाने पर
9. नौसेना के ध्वज को फहराते समय

जब राष्ट्रगान को गाया या बजाया जाता है तो श्रोताओं को सावधान की मुद्रा में खड़े रहने चाहिए। यद्यपि जब किसी चलचित्र या भाग के रूप में राष्ट्रगान को किसी समाचार की गतिविधि और संक्षिप्त चलचित्र के दौरान बजाया जाए तो श्रोताओं से अपेक्षित नहीं है कि वे खड़े हो जाएं क्योंकि उनके खड़े होने से फिल्म के प्रदर्शन में बाधा आएगी और एक असंतुलन और भ्रम पैदा होगा तथा राष्ट्रगान की गरिमा में वृद्धि नहीं होगी।

राष्ट्रगान को सामूहिक रूप से गायन

राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण निम्नलिखित अवसरों पर सामूहिक गान के साथ बजाया जाएगाः

1. राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के अवसर पर
2. सांस्कृतिक अवसर पर या परेड के अलावा अन्य समारोह पूर्ण कार्यक्रमों में
3. सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन के अवसर पर; परंतु औपचारिक राज्य कार्यक्रमों और सामूहिक कार्यक्रमों के अलावा और इन कार्यक्रमों से उनके विदा होने के तत्काल पहले
4. राष्ट्रगान को गाने के सभी अवसरों पर सामूहिक गान के साथ इसके पूर्ण संस्करण का उच्चारण किया जाएगा तथा राष्ट्रगान उन अवसरों पर भी गाया जाए जो पूरी तरह से समारोह के रूप में ना हो तथा इनका कुछ महत्व हो जिसमें मंत्रियों आदि की उपस्थिति शामिल है। इन अवसरों पर राष्ट्रगान को गाने के साथ संगीत वाद्यों के साथ या इनके बिना सामूहिक रूप से गायन वांछित होता है।
5. विद्यालय में दिन के कार्यों में राष्ट्रगान को सामूहिक रूप से गाकर आरंभ किया जा सकता है। विद्यालय के प्रति कार्यों को राष्ट्रगान के गायन को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने कार्यक्रमों में पर्याप्त प्रावधान करने चाहिए तथा उन्हें छात्रों के बीच राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह संभव नहीं है कि अवसरों की कोई एक सूची दी जाए। राष्ट्रगान को गाने पर तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक इससे मातृभूमि को सलामी देते हुए आदर के साथ गाया जाए और इसकी उचित गरिमा को बनाए रखा जाए।

राष्ट्रीय ध्वज: तिरंगा

भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, 1945ई. को अपनाया। राष्ट्रध्वज की लंबाई, चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में तीन क्षैतिज पट्टियां– केसरिया, सफेद और हरा हैं।

केसरिया– केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश की ताकत, बल, शक्ति और साहस को दर्शाता है।

सफेद– सफेद रंग ध्वजा के बीच में होता है। यह शांति और सत्य का प्रतीक है। इस पट्टी के ठीक मध्य में नीले रंग का चक्र अशोक चक्र होता है। चक्र सत्य की प्रगति का प्रतीक है।

हरा रंग– तिरंगा के सबसे निचली पट्टी में होता है। हरा रंग देश के शुभ विकास, राष्ट्र के खुशहाली, विश्वास और उर्वरता समृद्धि को दर्शाता है।

अशोक चक्र– राष्ट्रीय झंडे के बीच में नीले रंग का चक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंहासन पर बने अशोक चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है। अशोक चक्र में 24 तिलियां है। जिसका मतलब है–सतत विकास।

डॉ. एस. राधाकृष्णन ने भी स्पष्ट किया है कि ''भगवा या केसरिया रंग त्याग या निःस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे नेतागणों को भौतिक सुखों से विरक्त तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है जिन पर प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। इस झंडे तले शासन करने वाले लोगों को सत्य, धर्म या नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पुनश्च चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चलना ही जिंदगी है। भारत को परिवर्तन की अनदेखी नहीं करनी है, अपितु आगे ही बढ़ना है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। यह दोनों राष्ट्रीय ध्वज रेशम में खादी के होते हैं, ना कि सूती खादी के। यह वर्ष के अन्य दिनों में प्रायः राजकीय भवनों पर फहराया जाता है। आजादी के बाद दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहली बार 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था, ना कि 15 अगस्त 1947 को जैसा की अवधारणा है।

कैसे बना तिरंगा

आजादी की पहली लड़ाई यानी 1857 में बहादुर जफ़र के झंडे का रंग हरा था। इस पर खिलते हुए कमल का फूल भी छपा था और झंडे के दूसरे हिस्से में रोटी की तस्वीर थी।

वर्ष 1904: आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता ने पहली बार भारत के राष्ट्रीय झंडे की अवधारणा दी। इस ध्वज का रंग लाल और पीला था। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम और पीला रंग उसकी विजय का प्रतीक था। उसपर बंगाली में 'बॉन्दे मातरम्' लिखा था। इसके साथ ही ध्वज पर भगवान इन्द्र के हथियार वज्र का भी निशान था और बीच में एक सफेद कमल बना था। वज्र का निशान शक्ति और कमल शुद्धता का प्रतीक था।

वर्ष 1906: सिस्टर निवेदिता के ध्वज के बाद सन् 1906 में एक ओर ध्वज डिजाइन किया गया। यह एक तिरंगा झंडा था और इसमें तीन बराबर पट्टियां थी जिसमें सबसे ऊपर इसमें नीले, बीच में पीले और तल में लाल रंग था। इसकी नीली पट्टी में अलग–अलग आकार के आठ सितारे बने थे। लाल पट्टी में दो चिन्ह थे, पहला सूर्य और दूसरा एक सितारा और अर्द्धचन्द्राकार। इस झंडे को आज कोलकाता के आचार्य भवन म्यूजियम में रखा गया है।

सन् 1906 में इस ध्वज का एक और संस्करण बनाया गया था। यह भी एक तिरंगा था पर इसके रंग अलग–अलग थे। इसमें नारंगी, पीला और हरा रंग था। इसे 'कलकत्ता ध्वज' या 'लोट्स फ्लैग' के नाम से जाना जाने लगा। इसमें आठ आधे खुले कमल थे। पीले रंग की पट्टी पर नीले रंग से देवनागरी में वंदे मातरम् लिखा था तथा हरी पट्टी पर बाएं कोने में सूर्य तथा दाएं कोने में चाँद–तारे की आकृति थी। यह झंडा पूर्णरूपेण सांप्रदायिक–सद्भाव व एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसमें रंग व आकृतियों का चयन अलग–अलग धार्मिक विश्वासों व मान्यताओं के आधार पर किया गया था। जहां लाल रंग और सूर्य हिंदू धर्म तथा हरा रंग और चाँद–तारा मुस्लिम धर्म की आस्था व मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते थे, वहीं दूसरी ओर पीले रंग व वृद्धों की अन्य धर्म संप्रदायों के लिए जोड़ा गया था। माना जाता है कि इसे सचिन्द्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने बनाया था। इसे प्रथम बार 7 अगस्त, 1906ई. को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में भारत के झंडे के नाम से एक झंडा फहराया गया। इसे बंगाल के विभाजन के खिलाफ बहिष्कार दिवस के दिन सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भारत की एकता के प्रतीक के तौर पर फहराया था।

वर्ष 1907: दूसरे ध्वज को 22 अगस्त, 1907 में जर्मनी के स्टूर्टग्राट में, आजादी के संघर्ष की नेतृत्व कर रहे फ्रांस से एक पारसी महिला मैडम भीकाजी कामा और उनके साथ निर्वाचित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। उस दिन से इसे बर्लिन कमेटी ध्वज भी कहा जाने लगा। इस तिरंगे और पूर्व के तिरंगो में रंगों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं था, आकृति में भी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया था। सिर्फ लाल पट्टी पर 7 वृतों की जगह एक कमल और 7 तारों की आकृ ति बना दी गई थी। इसमें सबसे ऊपर हरा, मध्य में भगवा और आखिरी में लाल रंग था। इसके ऊपर 'वंदे मातरम्' लिखा था।

वर्ष 1916: वर्ष 1916 में भू–भौतिकविद् पिंगली वैंकया ने एक ध्वज डिजाइन किया। पिंगली ने हाथ से काती गई खादी काएक ध्वज बनाया। उस झंडे पर दो रंग थे और उन पर एक चरखा बना था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसे यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि उसका लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का तो प्रतिनिधित्व करता है पर भारत के अन्य समुदायों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता।

वर्ष 1917: बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठित होमरूल लीग ने सन् 1917 में एक नया झंडा अपनाया। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के संयुक्त प्रयास से इस नवीन राष्ट्रीय झंडा की रचना हुई थी। जिसमें पांच लाल और चार नीली रंग की समानांतर पट्टियां थी जिसके ऊपर बाएं कोने पर यूनियन जैक बना हुआ था। इसके सामने दाईं ओर चाँद–तारे तथा नीचे सप्तर्षि तारों की आकृतियां बनी हुई थी। इसमें भी रंग व आकृति का चयन के आधार धार्मिक था परंतु यूनियन जैक से ब्रिटिश संप्रभुता के प्रति भारतीयों की स्वीकृति का आभास मिलता था। ऐसा इसलिए था कि 1885–1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलन को तीन कालों में बांटा गया था। 1885–1918 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का प्रथम काल माना जाता है। इस काल के नेताओं का लक्ष्य ब्रिटिश संप्रभुता के प्रति आस्थावान होकर अपने अधिकारों और अधिकारिक स्वायत्तता की मांग करना था। यह झंडा लगभग चार वर्षों तक मान्य रहा।

वर्ष 1921: 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के बैठक विजयवाड़ा में हो रही थी, तब आंध्र प्रदेश के क्रांतिकारी की युवक पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को ऊपर से नीचे क्रमशः सफेद, हरा और लाल रंग की तीन समानांतर पट्टियों से बना झंडा सौंपा था, जिसके बीच में नीले रंग से बड़े चरखे की आकृति थी। इस ध्वज का सफेद रंग अल्पसंख्यकों का, हरा रंग मुस्लिमों का और लाल रंग हिन्दू और सिख समुदायों का प्रतीक था। एक चरखा इनन तीनों पट्टियों परफैलाकर बनाया गया था जो इनकी एकता का प्रतीक था। झंडे के लिए धर्म संप्रदाय के आधार पर रंग व आकृति का चयन के चलते 1931ई. में कांग्रेसी नेताओं के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ।

वर्ष 1931: ध्वज की सांप्रदायिक व्याख्या के कारण कुछ लोग खुश नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए झंडे की रूपरेखा तैयार करने हेतु 7 सदस्य

वाली एक समिति का गठन किया गया। पिंगली वैंकया ने एक और ध्वज का डिजाइन किया, जिसमें लाल की जगह गेरूआ रंग रखा गया। यह रंग दोनों समुदायों की संयुक्त भावना का प्रतीक था। इस नए ध्वज में सबसे ऊपर भगवा, उसके नीचे सफेद और सबसे नीचे हरा रंग था। सफेद पट्टी के मध्य में चरखा बना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे को मंजूरी दी गई। रंगों का चयन धर्म के आधार पर नहीं किया गया था। केसरिया को त्याग; सफेद को सत्य एवं शांति; हरे को विश्वास एवं वीरता का प्रतीक माना गया। यही झंडा आंदोलन तक चलता रहा और देशभक्तों ने अपनी शक्ति, एकता, साहस और वीरता को प्रकट करते हुए 15 अगस्त, 1945 को आजादी की स्वर्ण मंजिल प्राप्त की और दास्तां की जंजीर में जकड़ी और कराह रही भारत मां को मुक्त किया।

वर्ष 1947: वर्ष 1931में बने झंडे की खामी यह थी की बीच में बना चरखे का निशान एक तरफ से सीधा और दूसरी तरफ से उल्टा दिखता था। स्वतंत्रता मिलने के बाद ध्वज में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिह्न बनाने का सुझाव दिया था। वर्तमान राष्ट्र ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक नया तिरंगा का डिजाइन प्रस्तुत किया। जिसमें सफेद पट्टी पर चरखे की जगह 24 तीलियों से युक्त अशोक चक्र की आकृति थी, जिसे ध्वनिमत से स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। इसे 14 अगस्त, 1947 को प्रस्तुत किया गया। गुजरात के स्वतंत्रता सेनानी महिला हंसा मेहता ने 14–15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि जिसमें आजादी के आधिकारिक घोषणा हुई, संविधान सभा के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद को पहला तिरंगा झंडा पेश किया था।

झंडे का निर्माण

सबसे पहले बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित बागलकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को बहुत ध्यान से काटा और बिना जाता है इसके बाद कपड़े के तीन अलग–अलग लॉट बनाए जाते हैं। इनको तिरंगे के तीन अलग–अलग रंगों में डाई किया जाता है। डाई किए हुए कपड़े को हुबली में भेज दिया जाता है।

यहां इन्हें अलग–अलग आकार में काट कर सिला जाता है। यहां लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे फैलती है। कटे हुए सफेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे के तीनों रंगों के कपड़े की सिलाई की जाती है। खादी के लिए कच्चा माल केवल कपास, रेशम और उन है। झंडा बनाने में दो तरह के खादी का उपयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा खादी टाट जो बेज रंग का होता है और खंभों में पहनाया जाता है। इस प्रकार झंडे के लिए बुनियादी को दो इकाइयों से प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ के निकट गदग से और उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिलों से वर्तमान में हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही मात्र लाइसेंस प्राप्त है, जो झंडा उत्पादन और आपूर्ति करता है। बुनाई पूरी होने के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए बीआईएस प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद यदि झंडा अनुमोदित हो जाता है तो उसे कारखाने वापस भेज दिया जाता है। बीआईएस झंडे की जाँच करता है और तभी वह बेचा जा सकता है। भारत में सालाना लगभग चार करोड़ झंडे बिकते हैं।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 150 धागे होने जरूरी है। यही नहीं प्रति सिलाई टांके में चार धागे होने भी जरूरी है। झंडा खादी का ही होना चाहिए, क्योंकि वही झंडे के लिए एकमात्र आधिकारिक रूप से स्वीकृत कपड़ा है। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग एकमात्र प्राधिकरण है जो ध्वज निर्माण का लाइसेंस देता है। फिलहाल भारत में केवल एक संस्था को ध्वज निर्माण का लाइसेंस मिला है और यह संस्था हुबली में है। झंडे बनाने का मानक 1968 ईस्वी में तय किया गया जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए 9 मानक आकार तय किए गए हैं।

रोचक तथ्यः

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश के सबसे बड़े आकार का (90 गुना 60 फीट) राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे बाद आता है। इसकी ऊँचाई 207 फीट है, इतनी ऊँचाई के तिरंगे देश के कई अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए गए हैं।

29 मई, 1953ई. को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनजिंग नोर्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। 1971 ई. में अमेरिका के अपोलो–15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। 9 जनवरी, 1987 को कर्नल जे.के. बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। 21 अप्रैल, 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वार्डन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। 5 अप्रैल, 1984ई. को भारत के अंतरिक्ष यात्री स्क्वार्डन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैच के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। 15 नवंबर, 2008ई. को भारत ने चाँद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चाँद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इसके पूर्व अमेरिका, रूस तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपना ध्वज वहाँ फहराया।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002

प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए जो नियम रिवाज और औपचारिकताएं हैं, उसकी जानकारी ना तो आम जनता को है और ना ही सरकारी संगठनों और एजेंसियों को। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 में सभी नियमों रिवाजों औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग 1 में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण दिया गया है। आम जनता निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता के भाग 2 में विवरण दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके संगठनों एवं एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण संहिता के भाग 3 में दिया गया है। 'झंडा संहिता–भारत' के स्थान पर 'भारतीय झंडा संहिता, 2002' को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 समस्त भारतीय नागरिकों एवं नागरिक संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी.एन. खरे ने जनवरी 2004 में दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले ने घोषणा किया कि संविधान के

अनुच्छेद 19(1)–अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपरी हिस्से पर अस्थाई रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का प्रावधान है।

भाग 1
सामान्य

1. राष्ट्रीय झंडे पर तीन अलग–अलग रंगों की पट्टियां होंगी जो सामान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टिया होंगी। सबसे ऊपर भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे भारतीय हरे रंग के पट्टी होगी। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी जीत के बीचों बीच बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग में 24 धारियों वाला एक अशोक चक्र बना होगा। बेहतर होगा यदि अशोक चक्र स्क्रीन से प्रिंट किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ या स्टैंसिल किया हुआ या उचित रूप से कढ़ाई किया हुआ हो जो सफेद पट्टी के बीच में झंडे के दोनों ओर स्पष्ट दिखाई देता हो।
2. भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से काटे गए और हाथ से बुने गए ऊनी/सूती/सिल्क खादी के कपड़े से बनाया गया हो।
3. राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।

झंडे का आकार वर्ग	मिलीमीटरों में माप
1.	6300 × 4200
2.	3600 × 2400
3.	2700 × 1800
4.	1800 × 1200
5.	1350 × 900
6.	900 × 600
7.	450 × 300
8.	225 × 150
9.	150 × 100

4. फहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाएगा। 450 × 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाले हवाई जहाजों के लिये, 225 × 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों में और 150 × 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए हैं।

भाग 2

आम जनता गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/ प्रदर्शन/प्रयोग

धारा 1

1. आम जनता गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के। उपर्युक्त अधिनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगाः–

(i) झंडे का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा अन्यथा संप्रतिक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 का उल्लंघन होगा।

(ii) दूसरा किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।

(iii) झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा सिवाय उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुका फहराने के आदेश जारी किए गए हों।

(iv) झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें व्यक्तिगत शव यात्रा शामिल है, के काम में नहीं लाया जाएगा।

(v) किसी प्रकार के पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ना ही तकियों, रुमाल, नेपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर इसे काढा अथवा मुद्रित किया जाएगा।

(vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे।

(vii) झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा; लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंग के रूप में झंडे के फहराया जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(viii) किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे के सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग अथवा स्मारक को ढँकने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ix) झंडे का प्रयोग ना तो वक्ता के मेज को ढँकने के लिए और ना ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा।

(x) झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा।

(xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी अथवा वायुयान की टोपदार छत, ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढँकने काम में नहीं लाया जाएगा।

(xii) झंडे का प्रयोग किसी भवन में परदा लगानेके लिए नहीं किया जाएगा। और

(xiii) झंडा को जानबूझकर ''केसरिया'' रंग के नीचे प्रदर्शित करके नहीं फहराया जाएगा।

2. जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर–सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकता या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है। राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और उसे सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएः–

(i) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

(ii) फटा हुआ या मैला–कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए।

(iii) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज–दंड से नहीं फहराया जाए।

(iv) संहिता की भाग III की धारा IX में की गई व्यवस्था के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा।

(v) यदि झंडे का प्रदर्शन सभी मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुँह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने और रहे अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए।

(vi) जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे, लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लंबाई में फहराया जाए तो केसरी भाई झंडे के हिसाब से दाई. और होगा (अर्थात झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बायें)।

(vii) जहां तक संभव हो झंडे का आकार इस संहिता के भाग–I में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

(viii) किसी दूसरे झंडा पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए और ना ही पुष्प, माला प्रतीक या

अन्य कोई वस्तु उसके ध्वज–दंड के ऊपर रखी जाए।

(ix) फूलों का गुच्छा या पताका बनाने या किसी अन्य प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(x) जनता द्वारा कागज के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। परंतु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने के पश्चात् ना तो विकृत किया जाएगा और ना ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक संभव हो ऐसे कानून की मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाए।

(xi) जहां झंडे का प्रदर्शन किया जाता है, वहां मौसम को ध्यान में रखें बिना उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए।

(xii) झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांध कर ना किया जाए जिससे कि वह फट जाए। और

(xiii) जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट कर दिया जाए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी अन्य तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

धारा 2

3. शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए तथा झंडे का सम्मान करने हेतु मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित हिदायतें दी गई हैं:–

(i) स्कूल के विद्यार्थी खुले मैदान में इकट्ठे होकर एक खुला वर्गाकार बनायेंगें। इस वर्ग में झंडे के तीन तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फहराने वाला व्यक्ति (यदि वह प्रधानाध्यापक के अलावा कोई दूसरा हो) झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे।

(ii) छात्र कक्षाक्रम से दस–दस के दल में (अथवा कुल संख्या के अनुसार) खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में खड़े रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहलीपंक्ति की दाई ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से तीन कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षांए वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी होगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाई ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम से अन्य कक्षाएं खड़ी होंगी।

(iii) हर पंक्ति के बीच में कम से कम एक कदम (30 इंच) का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए।

(iv) जब हर कक्षा तैयार हो जाए तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाएं तो स्कूल का छात्र–नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़ कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा फहराया जाएगा। इसमें स्कूल का छात्र नेता सहायता कर सकता है।

(v) स्कूल का छात्र–नेता जिसे परेड का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान (अटेंशन) हो जाने की आज्ञा देगा। झंडे फहराने पर परेड को झंडे की सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी के अवस्था में रहेगी। फिर 'कमान' आदेश पाने पर सावधान अवस्था में आ जाएगी।

(vi) झंडे की सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान अवस्था में रहेगी।

(vii) शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्रगान के बाद ली जाएगी। शपथ लेते समय भी सभा सावधान की अवस्था में रहेगी। प्रधानाध्यापक शपथ को पढ़ेंगे और सभा उसको दोहराएगी।

(viii) स्कूलों में राष्ट्रीय झंडें के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी।

(ix) सभी हाथ जोड़कर खड़े होगे और निम्नलिखित शपथ दोहराएंगेः–

''मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता/लेती हूँ जिसका यह झंडा प्रतीक है।''

भाग 3

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना या प्रदर्शन

धारा 1

रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा तथा दूतावासों/कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा झंडा फहराया जाना

1. राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए जिन रक्षा प्रतिष्ठानों के अपने नियम हैं उन पर इस भाग में की गई व्यवस्था लागू नहीं होंगी।
2. राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के आवासों पर भी फहराया जा सकता है जहां राजनयिक और काउंसलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालय तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाने का प्रचलन है।

धारा 2

झंडे का सरकारी तौर पर फहराया जाना

3. उपर्युक्त धारा 1 में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में की गई व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. सरकारी तौर पर झंडा फहराने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिन्ह लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी समुचित आकार के ऐसे ही झंडा फहराना वांछनीय होगा।

धारा 3
झंडा फहराने का सही तरीका

5. जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां में स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
6. यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर हर रविवार और छुट्टियों में भी सभी दिन फहराया जाएगा और, इस संहिता में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो। ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता है किंतु ऐसा केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना चाहिए।
7. झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे–धीरे एवं आदर के साथ उतारा जाए। जब झंडे को फहराते समय और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल के आवाज के साथ ही फहराया जाए और उतारा जाए।
8. जब झंडा किसी भवन खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरी पट्टी सबसे दूर वाले सिरे पर होगी।
9. जब झंडे का प्रदर्शन की दीवार के सहारे आड़ा और चौड़ाई में किया जाता है तो केसरी पट्टी सबसे ऊपर रहेगी और जब वह लंबाई में फहराया जाए तो केसरी पट्टी झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगी और झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाई और होगी।
10. यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुँह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर रहे। अथवा झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ा फहराया जाए।
11. किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

12. जब झंडा किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचो–बीच या कार के आगे दाईं और कसकर लगाए हुए एक डंडे पर फहराया जाए।
13. जब किसी जुलूस में या परेड में झंडे को ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाईं और अर्थात झंडे के भी दाहिनी ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों की भी कोई लाइन हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लाइन के मध्य में सबसे आगे होगा।

धारा 4
झंडा फहराने के गलत तरीके

14. फटा या मैला–कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा।
15. किसी वस्तु या व्यक्ति को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।
16. किसी दूसरे झंडे का पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा और आगे बताई गई व्यवस्था को छोड़कर, राष्ट्रीय झंडे के बराबर में भी नहीं रखा जाएगा, और ना ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज दंड के ऊपर रखी जाएगी, जिस पर झंडा फहराया जाता है। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं अथवा प्रतीक भी शामिल है।
17. फूलों का गुच्छा या झाड़ियां या बन्दनवार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
18. झंडे का प्रयोग ना तो वक्ता के मंच को ढँकने के लिए और ना ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा
19. 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।
20. झंडे को जमीन या फर्श छूने या पानी में घुसने नहीं दिया जाएगा।
21. झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बाँधकर नहीं किया जाएगा जिससे कि वह फट जाए।

धारा 5
झंडे का दुरुपयोग

22. राजकीय सैन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से संबंधित शवयात्राओं, जिनके संबंध में आगे व्यवस्था की गई है, को छोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।
23. झंडे को वाहन, रेलगाड़ियां अथवा नाव की टोपदार छत, बगल अथवा पिछले भाग को ढँकने के काम में नहीं लाया जाएगा।
24. झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे प्रकार से नहीं रखा जाएगा कि वह फट जाए या मेला हो जाए।
25. जब झंडा फट जाए मैला हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाएगा और ना ही अनादर पूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए।
26. झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।
27. किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गद्दियों, रूमालों, बक्सों अथवा नेपकीनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा।
28. झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे।
29. किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ना ही उस पर डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा, जिस पर के झंडा फहराया जा रहा हो।
30. झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने वाले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवस के समारोह के एक अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा 6
झंडे को सलामी

31. झंडे को फहराते या उतारते समय झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहां पर उपस्थित सभी लोगों को झंडे की ओर मुँह करके सावधान के अवस्था में खड़े होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति समुचित ढंग से सलामी देंगे। जब झंडा जा रही सैन्य टुकड़ी के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान खड़े होंगे या जब झंडा उनके पास से गुजरे तो वे उसको सलामी देंगे। गणमान्य व्यक्ति सिर पर कोई वस्त्र पहने बिना भी सलामी ले सकते हैं।

धारा 7
राष्ट्रीय झंडे का दूसरे राष्ट्रों के झंडों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ फहराया जाना

32. जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडे के साथ एक ही पंक्ति में फहराया जाए तो उसे सबसे दाईं और रखा जाएगा, अर्थात्, यदि कोई पर्यवेक्षक झंडों के पंक्ति के बीच में श्रोताओं की ओर मुँह करके खड़ा होता है तो राष्ट्रीय झंडा उसके सबसे दाई और होगा।
33. राष्ट्रीय झंडे के बाद दूसरे राष्ट्रों के झंडे संबंधित राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार लगाए जाएंगे। ऐसे मामले में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरू में, नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार झंडों के पंक्ति के मध्य में और पंक्ति के अंत में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा और तब से बाद में उतारा जाएगा।
34. यदि झंडे को खुले गोलाकार में अर्थात् अर्धगोलाकार ने फहराया जाता है तो इस धारा के पिछले खंड में बताई गई कार्य विधि अपनाई जाएगी। यदि झंडे एक पूर्ण गोलाकार में फहराया जाते हैं तो आरंभ में राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे घड़ी की सुई के दिशाक्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे अंतिम झंडा राष्ट्रीय झंडे तक आ जाए। गोलाई का आरंभ और अंत दर्शाने के लिए दूसरा राष्ट्रीय झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बंद गोलाकार में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को लगाया जाएगा।

35. जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे डंडों में फहराया जाएं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हों, तो राष्ट्रीय झंडा दायीं ओर अर्थात झंडे की अपनी दायीं ओर होगा और उसका डंडा दूसरे डंडे के ऊपर रहेगा।
36. जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी और लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है।
37. जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के साथ फहराया जाए तो सारे झंडों के ध्वज दंड समान आकार के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार शांति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊँचा नहीं फहराया जाता है।
38. राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग–अलग झंडों के लिए अलग–अलग ध्वज दंड होंगे।

धारा 8
सरकारी भवनों एवं आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना

39. सामान्यतः उच्च न्यायालयों, सचिवालयों कमिश्नरों के कार्यालयों, जिला कचहरियों, जेलों तथा जिला बोर्ड के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय/सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराया जाना चाहिए।
40. सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा शुल्क चौकियों, जाँच चौकियों, सीमा चौकियों और ऐसी अन्य खास जगह पर, जहां कि झंडा फहराने का विशेष महत्व है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती गश्ती दलों पर झंडा फहराया जा सकता है।
41. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जब अपने मुख्यालय में हों तो उनके सरकारी आवास पर और जब अपने मुख्यालय से बाहर दौरे पर हो, तो जिन भवनों में वे निवास करें, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन,

सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गणमान्य व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उक्त भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए। जब गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हो तो वे जिस भवन में निवास करें, भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और जब उस स्थान से बाहर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। तथापि, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जालियंवाला बाग केशहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसरों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे गणमान्य व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में उपस्थित हो या ना हो।

42. जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं तो उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है।

43. जब विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सम्राट, राजा, उत्तराधिकारी युवराज या प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हो तो उस दौरान कोई संस्था उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करती है तो संस्था द्वारा धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का राष्ट्रीय झंडा साथ–साथ फहराए जाएं।

धारा 9
मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

44. मोटर का आरोप राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों को ही हैः

(i) राष्ट्रपति

(ii) उपराष्ट्रपति

(iii) राज्यपाल और उपराज्यपाल

(iv) विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावास एवं कार्यालयों के अध्यक्ष

(v) प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री;
केंद्र के राज्य मंत्री और उपमंत्री;
राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और अन्य कैबिनेट मंत्री;
राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उपमंत्री;

(vi) लोकसभा के अध्यक्ष;
राज्यसभा के उपसभापति;
लोकसभा के उपाध्यक्ष;
राज्य विधान परिषदों के सभापति;
राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के अध्यक्ष;
राज्य विधान परिषदों के उपसभापति;
राज्य और संघ शासित क्षेत्र के विधानसभा के उपाध्यक्ष;

(vii) भारत के मुख्य न्यायाधीश;
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

45. ऊपर वर्णित पैरा 44 के खंड (v) से (vii) तक में उल्लेखित गणमान्य व्यक्ति जब कभी आवश्यक या उचित समझें, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं।

46. जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करें, तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाईं ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार के बाईं ओर लगाया जाएगा।

धारा 10
रेलगाड़ियों और वायुयान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

47. जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है, वहां ड्राइवर की केबिन पर प्लेटफार्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगाया जाए जब तक गाड़ी वहां खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झंडा केवल तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई हो।
48. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वह यात्रा कर रहे हैं। जिस देश की यात्रा की जा रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ–साथ लगाया जाना चाहिए, परंतु मार्ग में जिन–जिन देशों में विमान उतरे तो शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएं।
49. जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाए जिस और राष्ट्रपति विमान में चढ़े या उससे उतरें।

धारा 11
झंडे को आधा झुकाना

50. निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर उल्लिखित स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाएगाः–

राष्ट्रपति– समस्त भारत
उपराष्ट्रपति– समस्त भारत
प्रधानमंत्री– समस्त भारत
लोकसभा के अध्यक्ष– दिल्ली
भारत के मुख्य न्यायाधीश– दिल्ली
केन्द्रीय केबिनेट मंत्री– दिल्ली और राज्यों की राजधानियां
केन्द्र के राज्य मंत्री और उप राज्यमंत्री– दिल्ली
राज्यपाल–संबंधित समस्त राज्य
उपराज्यपाल– संबंधित समस्त संघ शासित क्षेत्र
राज्य का मुख्यमंत्री– संबंधित समस्त राज्य
संघ शासित क्षेत्र का मुख्यमंत्री– संबंधित संघ शांसित क्षेत्र
राज्य का कैबिनेट मंत्री– संबंधित राज्य की राजधानी

51. यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन की सूचना अपराहन में प्राप्त होती है तो ऊपर बताए गए स्थान या स्थानों पर अगले दिन भी झंडा आधा झुका दिया जाएगा, बशर्ते कि उक्त दिन सूर्योदय से पूर्व अंत्येष्टि ना हुई हो।
52. उपरोक्त गणमान्य व्यक्ति की अंत्येष्टि के दिन उस स्थान पर भी आधा झंडा झुका दिया जाएगा जहां अंत्येष्टि की जानी है।
53. यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, तो केंद्रीय गणमान्य व्यक्ति के मामले में समस्त भारत में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति के मामले में संबंधित राज्य में या पूरे संघ शासित क्षेत्र में शोक अवधि के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा।
54. किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति के निधन होने पर, जहां आवश्यक हो, झंडे को आधा झुकाये जाने का अनुदेश अलग–अलग मामलों में के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।
55. ऊपर बताए गए व्यवस्थाओं के बावजूद, यदि झंडे को आधे झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय उल्लास या कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ का दिन एक साथ पड़ते हैं, तो उस भवन को छोड़कर जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है, अन्य स्थानों पर झंडा नहीं झुकाया जाएगा और उस भवन में भी जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है, उस समय तक ही झंडा झुका रहेगा जब तक कि दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर वहां से उठाया नहीं जाता। दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर उठाए जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा पूरी तरह फहरा दिया जाएगा।
56. यदि झंडा ले जा रहे परेड या जुलूस के रूप में शोक मनाया जाता है तो आगे काले कपड़े की दो पट्टियां लगा दी जाएंगी जो कि स्वाभाविक रूप से लटकी हो रहेंगी। इस प्रकार से काले कपड़े का प्रयोग सरकार के आदेश से ही किया जा सकेगा।
57. जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊँचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई स्थिति में उतारा

जाए किंतु दिन भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर पूरी ऊंचाई तक उठाया जाए।

झंडा झुकाने हाफ पास्ट से तात्पर्य झंडे को चोटी तथा 'गाई लाइन' के बीच आधे तक नीचे लाया जाना। 'गाई लाइन' न होने की अवस्था में झंडें के डंडे के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।

58. राजकीय/सैनिक/केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झंडे से ढँक दी जाएगी और केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।
59. किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में स्थापित भारतीय दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो।

भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

1. कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुपित करता है, नष्ट करता है, अथवा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है, चाहे वह मौखिक, लिखित या कृत्य द्वारा अपमानित करता है, तो उसे 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः–
   (i) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना ।
   (ii) किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना
   (iii) सरकार द्वारा जारी अनुदेशकों के अनुसार, जिन अवसरों पर सरकारी भवनों या राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर

फहराया जाना हो, उन अवसरों के अलावा झंडे को आधा झुका कर फहराना।

(iv) राजकीय/अंतर्राष्ट्रीय/सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के अंत्येष्टि को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना।

(v) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्दी, वेशभूषा, व्यक्ति की कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, गद्दियों, रुमाल, नेपकिन, अधोवस्त्रके रूप में प्रयोग करना।

(vi) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्पीड़न करना।

(vii) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय किसी वस्तु को प्राप्त करने देने वाले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना।

(viii) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या मंच को ढँकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना।

(ix) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या पैर से छूने देना या पानी पर घसीटने देना।

(x) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या किसी अन्य वस्तु के टोपदार छतों, बगल या पिछले भाग पर लपेटना।

(xi) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए करना।

(xii) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर फहराना।

राष्ट्रीय विदेशनीतिः गुटनिरपेक्ष

गुटनिरपेक्षता का अर्थ है– 'संसार की घटनाओं को योग्यता की कसौटी पर जाँचना और जो न्यायोचित लगे उसके अनुसार व्यवहार करना।' भारत ने प्रारंभ से ही अपनी विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता के आधार पर निश्चित किया। भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री कृष्ण मेनन ने भारत के गुटनिरपेक्ष नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था ''गुटनिरपेक्षता हमारी विदेशनीति नहीं है, बल्कि हमारी विदेशनीति का अभिन्न अंग है। यह एक यंत्र है, एक तरीका है, जिसका हमलोग प्रयोग करते हैं। हमारी विदेशनीति विश्व शांति सहयोग और सह–अस्तित्व है।''

भारत के गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का सही अर्थ है कि भारत किसी भी पक्ष का समर्थन करने को तैयार है, यदि वह शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन भारत उन शक्तियों से अपने को दूर रखता है जिनकी नीति से शांति और सुरक्षा के खतरे में पड़ने की आशंका है।

भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति कुछ कारणों से प्रभावित होकर ही अपनाई थी। भारत किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहता था और किसी गुट में सम्मिलित होने से उनकी स्वतंत्रता पर आंच आने का भय था। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपना आर्थिक विकास करना चाहता था और इसके लिए असंलग्नता की नीति अपनाना ज्यादा उचित था। गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर ही भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है जो भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुटनिरपेक्षता की आवाज सबसे पहले भारत में ही बुलंद हुई थी।

राष्ट्रीय फल: आम

आम का वानस्पतिक नाम *मैंगिफेरा इंडिका* है। आम एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है।

मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में एक लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब 'लाखी बाग' के नाम से जाना जाता है। कवि कालिदास ने भी आम की प्रशंसा में गीत लिखे हैं। अलेक्जेंडर ने इसका स्वाद चखा है और साथ ही चीनी धर्म यात्री ह्वेनसांग ने भी। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों में पैदा किया जाता है। भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है।

आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। दिल्ली में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस आयोजित किया जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के आमों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। भारत में आम के विभिन्न आकारों, भार और रंगों के सौ से अधिक किस्में पाई जाती है। भारत आम का प्रमुख निर्यातक देश है। उत्तर प्रदेश का दशहरी, महाराष्ट्र का अल्फांसो और बिहार जर्दालु आम विश्व प्रसिद्ध है।

'आम के आम गुठलियों के दाम'। अंग्रेजी में आम को 'मैंगो' कहा जाता है। 'मैंगो' शब्द की उत्पत्ति मलयालम भाषा के शब्द 'मंगा' से हुआ है। दरअसल पुर्तगालियों ने इस शब्द को अपनाया था और वर्ष 1510 में

पहली बार पुर्तगीज ने आम के लिए 'मंगा' शब्द लिखा, जो बाद में अंग्रेजी में मैंगो हो गया। चौथी–पांचवी सदी में बौद्ध धर्म प्रचारकों के साथ आम मलेशिया और पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचा। पारसी लोग 10 वीं सदी में पूर्वी अफ्रीका और पुर्तगाली, 16 वीं सदी में ब्राजील ले गए वहीं से मेक्सिको और वेस्ट इंडीज पहुंचा। अमेरिका में 1861 ईस्वी में पहली बार आम को उगाया गया था। आम के कई प्रकार होते हैं–लंगड़ा, दशहरी, अल्फांसो, चौसा, सफेदा, तोतापरी, सिंदूरी, फजली, जर्दालु, मालदह। आम के नामकरण के किस्से भी बड़े मजेदार हैं। लंगड़ा आम के लिए कहा जाता है कि बनारस के एक लंगड़े फकीर के घर के पिछवाड़े आम का एक पेड़ उगा था। उसका स्वाद सबसे अलग था और फकीर के पास आने वालों के जरिए उस आम की शोहरत दूर–दूर तक पहुंच गई। धीरे–धीरे उस लंगड़े फकीर के नाम पर उस आम का नाम ही लंगड़ा पड़ गया। इसी प्रकार बिहार में भागलपुर के एक गांव में फजली नामक औरत के घर पैदा हुए एक और खास प्रजाति का नाम फजली आम पड़ गया। दशहरी आम का नामकरण लखनऊ के दशहरी गांव के नाम पर हुआ था। सफेदा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुख्य रूप से उगाया जाता है। तोतापुरी आम तोते जैसा रंग रूप लिए होता है, यह आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। मुंबईया रेशेदार गुदे वाला आम होता है, यह बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पैदा किया जाता है। अल्फांसो सबसे मीठा और कीमती आम होता है। यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पैदा किया जाता है।

आम का उल्लेख रामायण महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। मुगल बादशाहों को भी आम काफी पसंद था। मियां मिर्जा गालिब ने अपने दोस्तों के लिखी चिट्ठियों में 68 तरह के आमों का जिक्र किया था। रविंद्रनाथ टैगोर भी आम के काफी शौकीन थे। उन्होंने आम के फूलों पर कविता लिखी है– 'आमेर मंजरी', इसका मतलब है आम का फूल।

राष्ट्रीय योजना: पंचवर्षीय योजना

प्रत्येक 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीयकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। वर्ष 1947 से योजना आयोग और नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर, 1951 को भारत की संसद से प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया था।

भारत का राष्ट्रीय पत्र: श्वेत पत्र

श्वेत पत्र एक प्रकार का अधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्था किसी विषय मुद्दे राजनीति अथवा समस्या पर अपनी जानकारी, सोच व विचारों को स्पष्ट करती है। श्वेत पत्र में किसी विषय से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों का समावेश होता है। यह अत्यंत संवेदनशील और पूर्ण सत्य पर आधारित होता है एवं किसी भी प्रकार का भ्रामक तथ्य नहीं होता है। जिसके द्वारा किसी भी विषय की वस्तुस्थिति को संसद में प्रमाणिक रूप से पेश किया जाता है। यह भारत सरकार का एक सरकारी दस्तावेज है।

'श्वेत पत्र' शब्द की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। सन् 1922 में 'चर्चिल व्हाइट पेपर' संभवत पहला श्वेत पत्र था। यह दस्तावेज इस बात की सफाई देने के लिए था कि ब्रिटिश सरकार यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक नया देश इजराइल बनाने के लिए 1917 की घोषणा को किस तरह अमलीजामा पहनाने के प्रयास की जा रही है। सन् 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हुआ था। उसके बाद 1948 में भारत सरकार ने एक दस्तावेज जारी करके अपनी तरफ से पूरी स्थिति को स्पष्ट किया था। 19 मई, 2012 में भारत सरकार ने काले धन पर और हाल के वर्षों में रेलवे को लेकर श्वेत पत्र जारी किया था।

राष्ट्रीय धर्म: धर्म निरपेक्ष

धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहला प्रयोग बर्मिंघम के जॉर्ज जैकब हॉलिया कनेक्शन, 1846 ई. के दौरान किया था। इसका उपयोग सभी धर्म के लोग को कानून संविधान एवं सरकारी नीति के आगे सामान समानता का दर्जा देने के लिए किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है, जहां अनेक धर्मों और संस्कृतियों भाषाओं और क्षेत्र के लोग रहते हैं। ऐसे विशाल देश में धर्मनिरपेक्ष के रूप में ही अपनी एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी गैर–धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करें।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट प्रदान करना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इस की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। यहां पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार प्राप्त होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो सर्वधर्म समभाव की भावना से परिचालित होता है।

राष्ट्रीय नारा: श्रमेव जयते

भारत का राष्ट्रीय नारा 'श्रमेव जयते' को अनाधिकृत तौर पर माना जाता है। श्रम एक श्रेष्ठ शिक्षक की तरह है, जो हमें निरंतर सिखाता रहता है। किसी भी को काम को करने में श्रम लगता है। श्रम का मतलब 'शक्तियों, क्षमताओं का उपयोग।' श्रम का एक अर्थ– मेहनत करना भी है। श्रम करने से मनुष्य को अपने जीवन में सार्थकता का निवास होता है। श्रम के द्वारा ही मनुष्य समृद्ध बनता है और अपनी आजीविका कमा पाता है।

भारत का राष्ट्रीय संकल्प

"भारत मेरा देश है और हम सभी भारतवासी मेरे भाई और बहन हैं मैं अपने देश से प्रेम करता हूं और विभिन्न विरासत पर गर्व करता हूं मैं अवश्य हमेशा इसके लिए योग्य मनुष्य बनने का प्रयास करूंगा मैं अवश्य अपने माता–पिता और बड़ों का आदर करूंगा और सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करूंगा अपने देश के लोगों के लिए मैं पूरी श्रद्धा से संकल्प लेता हूं उनकी भलाई और खुशहाली में ही मेरी खुशी है।"

भारतीय गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय संकल्प के रूप में राजभक्ति के कसम को अंगीकृत किया गया था। सामान्यतः यह कसम भारतीयों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में और विद्यार्थियों द्वारा किसी राष्ट्रीय अवसरों पर स्कूल और कॉलेजों में लिया जाता है। इसे वास्तव में पिद्दीमारी वेंकटासुब्बाराव, एक लेखक और प्रशासनिक अधिकारी ने तेलुगु भाषा में 1962ई. में लिखा था। इसे पहली बार वर्ष 1963 में विशाखापट्टनम के स्कूल में पढ़ा गया था। बाद में इसे सुविधा के अनुसार कई क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। बेंगलुरु एम.सी.चावला की अध्यक्षता में 1964ई. में शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की मीटिंग के बाद इसे 26 जनवरी, 1965 ई. से स्कूलों में पढ़ा जाने लगा।

राष्ट्रीय मिठाई: जलेबी

राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को कई लोग और वेब पोर्टल द्वारा भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई बताया जाता है, परंतु इसका कोई भी अधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है। जलेबी का आकार वृताकार, घुमावदार, पेंचदार होता है। 'जलेबी' शब्द मूल रूप से अरबी शब्द है। जलेबी को संस्कृत में 'कुंडलिका' कहा जाता है। भारतीय मूल पर जोर देने वाले इसे 'जल–वल्लिका' कहते हैं। बाद में इसका नाम 'जलाबिया' हो गया। पाकिस्तान में जहां इसे 'जलेबी' कहा जाता है वही महाराष्ट्र में इसे 'जिवली' भी कहा जाता है और बंगाल में इसका उच्चारण 'जिल्पी' कहा जाता है। यह मैदा के घोल को खमीर उठाकर बनाया जाता है। फिर इसे पतली गोल कड़ाही में कुरकुरे होने तक तेल में छाना जाता है। फिर इसे चीनी की चाशनी में डुबोकर निकाल दिया जाता है। धार्मिक, शादी–विवाह और त्योहारों के अवसर पर भी लोग इसका आनंद लेते हैं।

गणतंत्र दिवस

26 जनवरी भारत वर्ष के इतिहास में 26 जनवरी 1950 का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी दिन हमारा देश सही मायने में गणतंत्र घोषित हुआ था। गणतंत्र का अर्थ होता है –'जनताओं का शासन।' भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। 26 जनवरी, 1930 को ही भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी।

26 जनवरी, 1950 को सुबह 10:18 बजे भारत एक गणराज्य बन गया। उसके कुछ मिनटों पहले प्रातः 10:24 बजे डॉ. राजेन्द्रप्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी।

र्ष 1950 और 1954 के बीच भरत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक निश्चित स्थान नहीं था। शुरूआत में गणतंत्र दिवस का समारोह लालकिले, फिर नेशनल स्टेडियम, फिर किंग्सवे कैंप और फिर रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। अंत में वर्ष 1955 में राजपथ को स्थायी स्थल के रूप में चुना गया। इस दिन राजपथ पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है।

स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत सदियों के परतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। इस स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों को प्राणों की बाजी लगानी पड़ी। 14–15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र घोषित किया गया।

15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लालकिले पर राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। आजाद भारत का पहला ध्वज 16 अगस्त, 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने फहराया था।

राष्ट्रपिता: महात्मा गांधी

महात्मा गांधी को अघोषित रूप से 'भारत का राष्ट्रपिता' माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई, 1944ई. को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए, महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' कह कर संबोधित किया था। उसके बाद 30 जनवरी, 1948ई. को गांधी जी की हत्या के बाद, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा कि 'राष्ट्रपिता अब नहीं रहे'। तभी से महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' कहा जाता है। भारत सरकार के अनुसार किसी को भी आधिकारिक रूप

से 'राष्ट्रपिता' की उपाधि प्राप्त नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है।

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की शिक्षा पोरबंदर की पाठशाला में शुरू हुई थी। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें विलायत भेज दिया गया। 1891 ई. में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पासकर वापस स्वदेश आए और बम्बई में इन्होंने वकालत आरंभ की। गांधीजी वर्ष 1893 ईस्वी में अफ्रीका की यात्रा पर गए। अफ्रीका में हो रहे गोरे भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सके। इन्होंने अपना 'सत्याग्रह' वहीं से आरंभ किया। 1897 और 1899 ईस्वी में भारत में जब अकाल पड़ा, तो इन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अफ्रीका में चंदा इकट्ठा किया। डरबन में प्लेग के मरीजों की सहायता के कार्यों से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें 'कैसर–ए–हिंद' की उपाधि दी।

जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो राष्ट्र ने अपने एक महान नेता का भव्य स्वागत किया। गांधीजी ने अपनी आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे किया। भारतवर्ष में गांधीजी का प्रथम कर्मक्षेत्र बिहार का चंपारण था। वहां नील की खेती के जमींदार और नींद के कारखानेदार गोरे, किसानों के प्रति बहुत जुल्म करते थे। 1917 ईस्वी में गांधीजी के चम्पारण सत्याग्रह से किसानों का शोषण समाप्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। कई बार जेल गये। 26 जनवरी, 1930 ई. को इन्होंने स्वतंत्रता का मंत्रोचार किया। अगस्त, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। गांधीजी आजीवन सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य सिद्धांत माना। 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। सम्पूर्ण देश उन्हें 'बापू' के नाम से भी याद करता है।

हिन्द देश का प्यारा झंडा

हिन्द देश का प्यारा झंडा ऊँचा सदा रहेगा,
तूफान और बादलों से भी नहीं झुकेगा,
नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा नहीं झुकेगा।
हिन्द देश का प्यारा....

केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई,
हरा रंग है हरी हमारी, धरती की अँगड़ाई।
और कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रूकेगा।
हिन्द देश का प्यारा....

शान हमारी यह झंडा है यह अरमान हमारा,
ये बल पौरूष सदियों का, ये बलिदान हमारा,
आसमान में फहराय यह सागर में लहराये,
जहाँ–जहाँ यह जाये झंडा यह संदेश सुनाए,
है आजाद हिन्द ये दुनिया को आजाद करेगा,
हिन्द देश का प्यारा...

नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना,
नहीं चाहते हम औरों की मुँह की रोटी खा जाना,
सत्य, न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा,
हिन्द देश का प्यारा....

हम कितने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं,
इस झंडे पर मर–मिटने की कसम सभी खाते हैं,
हिन्द देश का झंडा घर–घर में लहरायेगा,
हिन्द देश का प्यारा...

हिन्द देश के निवासी

हिन्द देश के निवासी सभी जन एक हैं,
रंग–रूप, वेश–भाषा चाहे अनेक हैं।
बेला–गुलाब–जूही, चम्पा–चमेली,
प्यारे–प्यारे फूल गूँथे माला में एक हैं,
कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी
गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है।
ंगा–यमुना–ब्रह्मपुत्र, कृष्णा–कावेरी,
जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं।
धर्म हैं अनेक जिनका, सार वही है,
पंथ हैं निराले सबकी, मंजिल तो एक है।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊँचा रहे हमारा। × 2
सदा शक्ति बरसाने वाला
प्रेम सुधा बरसाने वाला,
वीरों को हर्षाने वाला,
मातृभूमि का तन–मन सारा × 2
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊँचा रहे हमारा। × 2
शान न इसकी जाने पाये,
चाहे जान भले ही जाये,
विश्व विजय करके दिखलाये,
तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, × 2
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊँचा रहे हमारा। × 2

वैष्णव जन तो तेने कहिये

वैष्णव जन तो तेने कहिये,
जे पीड़–पराई जाणे रे।
पर दुःखे उपकार करे तोये,
मन अभिमाण न आणे रे।

सकल लोकमां सहुने वंदे,
निंदा न करे केनी रे।
वाच काछ मन निश्छल राखे,
धन–धन जननी तेरी रे।
वैष्णव जन...

समदृष्टी ते तृष्णा त्यागी,
पर स्त्री जेने मात रे।
जिह्वा थकी असत्य न बोले,
पर धन नव झाले हाथ रे।
वैष्णव जन...

मोहे माया व्यापे नहिं जेने
दृढ़–वैराग्य जेना मनमां रे।
रामनामथुं ताळी लागी,
सकल तीरथ तेना तनमां रे।
वैष्णव जन...

वण लोभी ने कपट रहित छे,
काम–क्रोध निवार्या रे।
भणे नरसैया तेनुं दरसन करतां
कुळं एकोतेर तार्या रे।
वैष्णव जन...

–नरसी मेहता

सारे जहाँ से अच्छा

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।।2।।
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ताँ हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...

गुरबत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में।।2।।
समझो वहीं हमें भी, दिल हो जहाँ हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...

पर्वत वो सबसे ऊँचा, हम साया आसमाँ का।।2।।
वह सन्तरी हमारा, वह पासवाँ हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...

गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां।।2।।
गुलशन है जिनके दम से, रश्क–ए–जिनां हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...

मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना।।2।।
हिन्दी हैं हम× 3 वतन है, हिन्दोस्तां हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...

युनान, मिस्त्रों, रोमा, सब मिट गये जहाँ से।।2।।
अब तक मगर है बाकि, नामों निशां हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।।2।।
सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमां हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...
'इकबाल' कोई मरहम, अपना नहीं जहाँ में।।2।।
मासूम क्या किसी को, दर्द–ए–निहाँ हमारा–हमारा।।
सारे जहाँ से अच्छा...

–मो0 इकबाल

Teachers of Bihar- The Change Makers
Let's connect together

Our Website
www.teachersofbihar.org

Facebook Page
https://www.facebook.com/TeachersofBihar

Instagram link
https://instagram.com/teachersofbihar

Twitter link
https://twitter.com/teachersofbihar

E-Mail
teachersofbihar@gmail.com

WhatsApp No

7250818080

Telegram Group

https://t.me/joinchat/Lf3WfRTw1xxUi5p1bMXj7Q

Pininterest
https://in.pinterest.com/Teachersofbihar
.
You tube Channel
https://www.youtube.com/c/teachersofbihar

शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण व्यक्तित्व के धनी श्री शशिधर उज्ज्वल पेशे से एक शिक्षक हैं। शुरूआत में कई निजी विद्यालयों में अध्यापन के बाद वर्ष 2014 में जब सरकारी विद्यालय में नौकरी में आये तो इन्हें सरकारी विद्यालयों के वातावरण में सुधार की कई संभावनाएं नज़र आईं। वर्तमान में रा0 मध्य विद्यालय, सहसपुर,प्रखण्ड–बारूण, जिला–औरंगाबाद (बिहार) में पदस्थपित हैं। इनका अधिकतर समय शैक्षिक पाठ्यपुस्तकों, अखबारों, मैगजीनों के अध्ययन और बच्चों के अध्यापन कार्य में व्यतीत होता है। अपने अध्यापन कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तथा बच्चों में योग्यता विस्तार के लिए निरंतर कई रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य, नोट्स अथवा संकलन बनाते रहते है। हरेक बच्चों और जन–जन तक ज्ञानवर्धक सामग्रियों को पहुंचाने के लिए टीचर्स ऑफ बिहार में निःशुल्क सेवा प्रदान करते रहे हैं। अपनी सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हुए सृजनशील विचारों को सरजमीं पर उतार कर सरकारी विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता और समृद्धता लाने का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

Mobile:7004859938
email: ujjawal.shasidhar007@gmail.com